



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 80] प्रयागराज, शनिवार, 01 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 10, 1948 शक संवत्) [संख्या 31

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1— विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	403—416	3075	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	557—606	1500	भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट क—भारतीय संसद के ऐक्ट	...	975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975	भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	...	975	भाग 8—नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दवाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	1535-1545	975
भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	...	975	स्टोर्स—पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश

विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति

31 दिसम्बर, 2024 ई0

सं0 3775(1)/वि0प0-267/84—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति आदेश सख्या-310/(अधि0) वि0प0-267/84, दिनांक 02 फरवरी, 2024 के क्रम में श्री राकेश मिश्र, संयुक्त सचिव, विधान परिषद् उत्तर प्रदेश अपनी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात् दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 के अपरान्ह से सेवानिवृत्त हो गये।

स्थायीकरण

16 जनवरी, 2025 ई0

सं0 3959(1)/वि0प0—उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् सचिवालय में संयुक्त सचिव के पद पर स्थायी श्री प्रताप नारायण को विशेष सचिव के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-13क (1,31,100—2,16,600) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33(4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में विशेष सचिव के पद पर की गयी निरन्तर सेवा को संगणित करते हुये स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार विशेष सचिव के पद पर स्थायी किया जाता है।

सं0 3960(1)/वि0प0—उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् सचिवालय में उपसचिव के पद पर स्थायी श्री संजय मेहरोत्रा को संयुक्त सचिव के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 (1,23,100—2,15,900) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33(4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में संयुक्त सचिव एवं उससे उच्च पद पर की गयी निरन्तर सेवा को संगणित करते हुये स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार संयुक्त सचिव के पद पर स्थायी किया जाता है।

सं0 3961(1)/वि0प0—उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् सचिवालय में अनुसचिव के पद पर स्थायी श्री हरि प्रताप सिंह को उपसचिव के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (78,800—2,09,200) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33(4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में उपसचिव एवं उससे उच्च पद पर की गयी निरन्तर सेवा को संगणित करते हुये स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार उपसचिव के पद पर स्थायी किया जाता है।

सं0 3962(1)/वि0प0—उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् सचिवालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर स्थायी श्री सुभाष प्रसाद को अनुसचिव के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (67,700—2,08,700) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33(4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में अनुसचिव एवं उससे उच्च पद पर की गयी निरन्तर सेवा को संगणित करते हुये स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार अनुसचिव के पद पर स्थायी किया जाता है।

13 फरवरी, 2025 ई0

सं0 4245(1)/वि0प0—उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् सचिवालय में निजी सचिव श्रेणी-03 के पद पर स्थायी श्री राजेश कुमार को निजी सचिव श्रेणी-04 के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 (1,23,100—2,15,900) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33(4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में निजी सचिव श्रेणी-04 के पद पर की गयी निरन्तर सेवा को संगणित करते हुये स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार निजी सचिव श्रेणी-04 के पद पर स्थायी किया जाता है।

सं0 4246(1)/वि0प0—उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् सचिवालय में निजी सचिव श्रेणी-02 के पद पर स्थायी श्री रवि प्रकाश मिश्र को निजी सचिव श्रेणी-03 के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (78,800—2,09,200) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33(4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में निजी सचिव श्रेणी-03 के पद पर की गयी निरन्तर सेवा को संगणित करते हुये स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार निजी सचिव श्रेणी-03 के पद पर स्थायी किया जाता है।

सं0 4247(1)/वि0प0—उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् सचिवालय में निजी सचिव श्रेणी-02 के पद पर स्थायी श्री विजय कुमार मेहरोत्रा को निजी सचिव श्रेणी-03 के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (78,800—2,09,200) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33(4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में निजी सचिव श्रेणी-03 के पद पर की गयी निरन्तर सेवा को संगणित करते हुये स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार निजी सचिव श्रेणी-03 के पद पर स्थायी किया जाता है।

सं0 4248(1)/वि0प0—उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् सचिवालय में निजी सचिव श्रेणी-01 के पद पर स्थायी श्री सर्वेश चन्द्र गुप्ता को निजी सचिव श्रेणी-02 के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (67,700—2,08,700) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33(4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में निजी सचिव श्रेणी-02 के पद पर की गयी निरन्तर सेवा को संगणित करते हुये स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार निजी सचिव श्रेणी-02 के पद पर स्थायी किया जाता है।

सं0 4249(1)/वि0प0—उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् सचिवालय में निजी सचिव श्रेणी-01 के पद पर स्थायी श्री प्रदीप कुमार रघुवंशी को निजी सचिव श्रेणी-02 के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (67,700—2,08,700) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33(4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में निजी सचिव श्रेणी-02 के पद पर की गयी निरन्तर सेवा को संगणित करते हुये स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार निजी सचिव श्रेणी-02 के पद पर स्थायी किया जाता है।

सं0 4250(1)/वि0प0—उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् सचिवालय में मुख्य प्रतिवेदक के पद पर स्थायी श्री नीरज गर्ग को प्रमुख प्रतिवेदक के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 (1,23,100—2,15,900) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33(4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में प्रमुख प्रतिवेदक के पद पर की गयी निरन्तर सेवा को संगणित करते हुये स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार प्रमुख प्रतिवेदक के पद पर स्थायी किया जाता है।

सं0 4251(1)/वि0प0—उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् सचिवालय में उपमुख्य प्रतिवेदक के पद पर स्थायी श्री संजीव कुमार शर्मा को मुख्य प्रतिवेदक के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (78,800—2,09,200) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33(4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में मुख्य प्रतिवेदक के पद पर की गयी निरन्तर सेवा को संगणित करते हुये स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार मुख्य प्रतिवेदक के पद पर स्थायी किया जाता है।

01 अप्रैल, 2025 ई0

सं0 003(1)/वि0प0—उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् सचिवालय में निजी सचिव श्रेणी-04 के पद पर स्थायी श्री राजेश कुमार को प्रधान निजी सचिव के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-13क (1,31,100—2,16,600) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33(4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में प्रधान निजी सचिव के पद पर की गयी निरन्तर सेवा को संगणित करते हुये स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार प्रधान निजी सचिव के पद पर स्थायी किया जाता है।

सं0 004(1)/वि0प0—उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् सचिवालय में निजी सचिव श्रेणी-03 के पद पर स्थायी श्री रवि प्रकाश मिश्र को निजी सचिव श्रेणी-04 के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 (1,23,100—2,15,900) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33(4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में निजी सचिव श्रेणी-04 के पद पर की गयी निरन्तर सेवा को संगणित करते हुये स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार निजी सचिव श्रेणी-04 के पद पर स्थायी किया जाता है।

सं0 005(1)/वि0प0—उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् सचिवालय में निजी सचिव श्रेणी-03 के पद पर स्थायी श्री विजय कुमार मेहरोत्रा को निजी सचिव श्रेणी-04 के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 (1,23,100—2,15,900) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33(4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में निजी सचिव श्रेणी-04 के पद पर की गयी निरन्तर सेवा को संगणित करते हुये स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार निजी सचिव श्रेणी-04 के पद पर स्थायी किया जाता है।

सं० 0006(1)/वि०प०—उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् सचिवालय में निजी सचिव श्रेणी-02 के पद पर स्थायी श्रीमती सुनीता अग्रवाल को निजी सचिव श्रेणी-03 के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (78,800—2,09,200) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33(4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में निजी सचिव श्रेणी-03 के पद पर की गयी निरन्तर सेवा को संगणित करते हुये स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार निजी सचिव श्रेणी-03 के पद पर स्थायी किया जाता है।

सं० 007(1)/वि०प०—उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् सचिवालय में निजी सचिव श्रेणी-02 के पद पर स्थायी श्री विनय कुमार पाण्डेय को निजी सचिव श्रेणी-03 के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (78,800—2,09,200) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33(4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में निजी सचिव श्रेणी-03 के पद पर की गयी निरन्तर सेवा को संगणित करते हुये स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार निजी सचिव श्रेणी-03 के पद पर स्थायी किया जाता है।

सं० 008(1)/वि०प०—उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् सचिवालय में निजी सचिव श्रेणी-01 के पद पर स्थायी श्री बांके बिहारी को निजी सचिव श्रेणी-02 के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (67,700—2,08,700) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33(4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में निजी सचिव श्रेणी-02 के पद पर की गयी निरन्तर सेवा को संगणित करते हुये स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार निजी सचिव श्रेणी-02 के पद पर स्थायी किया जाता है।

सं० 009(1)/वि०प०—उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् सचिवालय में निजी सचिव श्रेणी-01 के पद पर स्थायी श्री धर्मेन्द्र सिंह को निजी सचिव श्रेणी-02 के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (67,700—2,08,700) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के 33(4) के अन्तर्गत विधान परिषद् सचिवालय में निजी सचिव श्रेणी-02 के पद पर की गयी निरन्तर सेवा को संगणित करते हुये स्थायीकरण समिति की संस्तुति एवं माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार निजी सचिव श्रेणी-02 के पद पर स्थायी किया जाता है।

नियुक्ति

02 मई, 2025 ई०

सं० 381(1)/वि०प०—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति आदेश संख्या-01/अधि०,वि०प०-267/84, दिनांक 01 अप्रैल, 2025 के द्वारा रिक्त हुये विशेष सचिव के राजपत्रित पद वेतन मैट्रिक्स लेवल-13'क' (1,31,100—2,16,600) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय, सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम-6(1-ख) के प्राविधानानुसार गठित समिति की संस्तुति पर माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मूल नियमावली, 1976 के नियम-30(क) के अन्तर्गत श्री संजय मेहरोत्रा, संयुक्त सचिव को विशेष सचिव के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-13'क' (1,31,100—2,16,600) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से,
डा० राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

राज्य कर विभाग

अनुभाग-1

कार्यालय-ज्ञाप

09 अप्रैल, 2025 ई0

सं0 I/932998/2025-शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-I/818723/2024, दिनांक 09 दिसम्बर, 2024 द्वारा श्रीमती मधुबाला, संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश, लखनऊ का स्थानान्तरण संयुक्त आयुक्त (एस0आई0बी0) गोंडा के पद पर किया गया है। उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध योजित रिट याचिका संख्या-20/2025 मधुबाला बनाम उ0प्र0, राज्य व में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06 जनवरी, 2025 के मुख्य अंश निम्नवत हैं-

9. Considering the judgments cited by the petitioner and also considering that in the transfer policy guidelines, framed by the State Government, specially law laid down by Hon'ble Apex Court in the case of Director of School Education, Madras and Others *Vs.* O. Karuppa Thevan and Another (supra), it is provided that transfer Order of the petitioner dated: 9.12.2024 as well as reliving Order dated 18.12.2024 shall be kept in abeyance and the respondents shall pass fresh orders attaching the petitioner at any post in Lucknow. The said exercise shall be under taken within 10 days from the date of production of certified copy of this Order.

10. The petitioner shall give an under taking to opposite party No.2 to the effect that she shall join at the transferred place of posting immediately on conclusion of the last examination of the daughter of the petitioner *i.e.* 15th May, 2025 without demur along with representation and a certified copy of this Order.

11. It is provided that the petitioner shall join at the fresh place of posting and shall not raise any dispute with regard to fresh Order of transfer.

12. With above directions the writ petition stands disposed of.

2- मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध योजित विशेष अपील सं0-41/2025 उ0प्र0, राज्य व अन्य बनाम मधुबाला में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06 फरवरी, 2025 निम्नवत है-

Heard Sri V.P. Nag, the learned Additional Chief Standing Counsel appearing on behalf of the State, Ms. Anushri, Advocate holding brief of Sri Gaurav Mehrotra, the learned counsel for the opposite party and perused the records.

2. Limited protection has been granted by the writ court to the opposite party for continuing at the place of posting up to 15.05.2025, that too on account of board examinations of her daughter.

3. Having gone through the judgment impugned herein this intra court appeal, we are not convinced that the judgment/order passed by the writ court calls for any interference in exercise of appellate jurisdiction of this court. As such, the intra court appeal being bereft of merit is dismissed.

प्रश्नगत विशेष अपील सं0-41/2025 उ0प्र0, राज्य व अन्य बनाम मधुबाला में मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 06 फरवरी, 2025 के विरुद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका सं0-7392/2025 उ0प्र0, राज्य व अन्य बनाम मधुबाला में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20 मार्च, 2025 निम्नवत है-

We are not inclined to interfere with the impugned judgment and Order of the High Court. Accordingly, the Special Leave Petition is dismissed.

Pending application (s), if any, shall stand disposed of.

4— अतः रिट याचिका संख्या-20/2025, मधुबाला बनाम उ०प्र०, राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06 जनवरी, 2025 के अनुपालन में श्रीमती मधुबाला, संयुक्त आयुक्त के उक्त स्थानान्तरण आदेश संख्या-I/812723/2024 दिनांक 09 दिसम्बर, 2024 एवं कार्यमुक्त आदेश संख्या-1758, दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को दिनांक 15 मई, 2025 के अपराह्न तक के लिए आस्थगित रखते हुए श्रीमती मधुबाला को राज्य कर मुख्यालय लखनऊ में संयुक्त आयुक्त के पद पर दिनांक 15 मई, 2025 तक के लिए एतद्वारा तैनात किया जाता है। दिनांक 16 मई, 2025 के पूर्वाह्न से श्रीमती मधुबाला का उक्त स्थानान्तरण आदेश दिनांक 09 दिसम्बर, 2024 एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 स्वतः प्रभावी होगा। तदनुसार रिट याचिका संख्या-20/2025 मधुबाला बनाम उ०प्र०, राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 06 जनवरी, 2025 के अनुपालन में वह दिनांक 16 मई, 2025 के पूर्वाह्न से संयुक्त आयुक्त (एस०आई०बी०), गोंडा के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु स्वतः कार्यमुक्त मानी जायेगी।

आज्ञा से,
श्याम प्रकाश नारायण,
विशेष सचिव।

16 अप्रैल, 2025 ई०

सं० I/937517/2025—तात्कालिक प्रभाग से श्रीमती सारिका सिंह (ID-124871), सहायक आयुक्त (वि०अनु०शा०), रेंज ए, राज्य कर अयोध्या को शासकीय कार्यहित में स्थानांतरित करते हुए सहायक आयुक्त, राज्य कर, खण्ड-3 मुजफ्फरनगर के रिक्त पद/स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

आज्ञा से,
रघुवीर प्रसाद,
संयुक्त सचिव।

23 अप्रैल, 2025 ई०

सं० I/942185/2025—शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सं०वि०क०नि०-1-683/11-2011-973(17)/11, दिनांक 24 मई, 2011 द्वारा श्री शमशेर जमदग्नि के विरुद्ध संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही के फलस्वरूप श्री शमशेर जमदग्नि को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सं०वि०क०नि०-1-397/11-2013-973 (17)/11 दिनांक 21 मई, 2013 द्वारा परिनिन्दा शास्ति प्रदान करते हुए उक्त अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की गयी तथा उक्त दण्डादेश के विरुद्ध श्री शमशेर जमदग्नि द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सं०वि०क०नि०-1-1275/11-2013-973 (17)/11, दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 द्वारा अस्वीकार कर निस्तारित किया गया।

2— शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21 मई, 2013 तथा 31 अक्टूबर, 2013 के विरुद्ध योजित निर्देश याचिका संख्या-1703/14 शमशेर जमदग्नि बनाम उ०प्र०, राज्य व अन्य में मा० राज्य लोक सेवा अधिकरण के पारित आदेश दिनांक 03 जून, 2015 के संगत अंश निम्नवत हैं—

The claim petition is allowed. The orders dated 21-05-2013 and 31-10-2013 annexures no. A-6 and A-8 are hereby set aside and the petitioner shall be entitled to all the consequential benefits. The opp. party is directed to make compliance of this order within two months from the date when the certified copy of this order is served upon him.

3— चयन वर्ष 2024-2025 में अपर आयुक्त ग्रेड-2 के रिक्त पदों पर संयुक्त आयुक्त से अपर आयुक्त ग्रेड-2 के पद पर प्रोन्नति हेतु आहूत चयन समिति द्वारा श्री शमशेर जमदग्नि (ज्येष्ठता क्रमांक-1656) तथा उनके कनिष्ठ श्री कुमार आनन्द (ज्येष्ठता क्रमांक-1658) के नाम पर भी विचार किया गया। तत्समय मा० अधिकरण के उक्त आदेश दिनांक 03 जून, 2015 के विरुद्ध योजित रिट याचिका संख्या-6274/एस०बी०/2016 उ०प्र०, राज्य व अन्य बनाम शमशेर जमदग्नि लम्बित होने के दृष्टिगत चयन समिति द्वारा उक्त श्री शमशेर जमदग्नि को आस्थगित श्रेणी में वर्गीकृत किया गया तथा उक्त चयन समिति द्वारा उनके कनिष्ठ श्री कुमार आनन्द को उपयुक्त श्रेणी में वर्गीकृत किया गया, जिसके क्रम में श्री कुमार आनन्द, संयुक्त आयुक्त को शासन की विज्ञप्ति/प्रोन्नति/तैनाती संख्या-I/818788/2024 दिनांक 09 दिसम्बर, 2024 द्वारा अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर के पद प्रोन्नति प्रदान की गई है।

4— श्री शमशेर जमदग्नि द्वारा अपने कनिष्ठ श्री कुमार आनन्द की अपर आयुक्त ग्रेड-2 के पद पर प्रोन्नति की तिथि से अपर आयुक्त ग्रेड-2 के पद पर प्रोन्नति प्रदान किये जाने हेतु योजित रिट याचिका संख्या-12402/2024 शमशेर जमदग्नि बनाम उ0प्र0, राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 22 जनवरी, 2025 के प्रस्तर-12 व 13 निम्नवत हैं—

12. Accordingly, this Court do not find any reason for non consideration of the candidature of petitioner for promotion to the next higher post of Additional Commissioner, Grade-II, State Tax.

13. In the light of above, present writ petition is allowed. The respondents are directed to consider the petitioner for promotion for the selection year 2024-25, from the date of consideration of his juniors, expeditiously, say within two weeks from the date of production of certified copy of this order to the post of Additional Commissioner, Grade-II, State Tax.

5— मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के क्रम में याची श्री शमशेर जमदग्नि द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 23 जनवरी, 2025 व 24 जनवरी, 2025 के माध्यम से अपने कनिष्ठ श्री कुमार आनन्द की अपर आयुक्त ग्रेड-2 के पद पर पदोन्नति की तिथि से अपर आयुक्त ग्रेड-2 के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

6— मा0 अधिकरण के उक्त आदेश दिनांक 03 जून, 2015 के विरुद्ध योजित रिट याचिका संख्या-6274/एस0बी0/2016 उ0प्र0, राज्य व अन्य बनाम शमशेर जमदग्नि में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18 फरवरी, 2025 के संगत अंश निम्नवत हैं—

The writ petition virtually has lost its efficacy and the same is liable to be dismissed on this ground alone.

The writ petition is accordingly dismissed.

7— रिट याचिका संख्या-12402/2024 शमशेर जमदग्नि बनाम उ0प्र0, राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 22 जनवरी, 2025 तथा रिट याचिका संख्या-6274/एस0बी0/2016 उ0प्र0, राज्य व अन्य बनाम शमशेर जमदग्नि में मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 18 फरवरी, 2025 के अनुपालन में सम्यक विचारोपरांत याची श्री शमशेर जमदग्नि, संयुक्त आयुक्त, कार्यपालक, वाराणसी संभाग बी को उनके कनिष्ठ श्री कुमार आनन्द (ज्येष्ठता क्रमांक-1658) की अपर आयुक्त ग्रेड-2 के पद पर पदोन्नति की तिथि 09 दिसम्बर, 2024 से अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर के पद पर नोशनल पदोन्नति तथा आदेश जारी होने की तिथि से वास्तविक पदोन्नति प्रदान करते हुए अपर आयुक्त, ग्रेड-2, अपील प्रथम, प्रयागराज के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

नियुक्ति/विज्ञप्ति

22 जुलाई, 2025 ई0

सं0 रा0क0-1-I/1032862/2025/11-2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री विनोद कुमार सिंह (ज्येष्ठता क्रमांक-93), अपर सांख्यिकीय अधिकारी, राज्य कर, गाजियाबाद जोन-प्रथम, गाजियाबाद को सांख्यिकीय अधिकारी, राज्य कर (ग्रेड वेतन रु0 5,400/-, पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए सांख्यिकीय अधिकारी, राज्य कर, अयोध्या के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

कार्यालय-ज्ञाप

01 अगस्त, 2025 ई0

सं0 I/1044582/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री चन्द्र शेखर सिंह-3, सहायक आयुक्त, खण्ड 3, बदायूं को स्थानांतरित करते हुए सहायक आयुक्त, सचल दल इकाई-3, कानपुर के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० I/1044583/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्रीमती रीना गौतम, सहायक आयुक्त एवं राज्य प्रतिनिधि, मुजफ्फरनगर को स्थानांतरित करते हुए सहायक आयुक्त, हाईकोर्ट वर्क्स, लखनऊ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० I/1044585/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री हेमन्त कुमार पंकज, सहायक आयुक्त, खण्ड 27, कानपुर को स्थानांतरित करते हुए सहायक आयुक्त, खण्ड 5, सहारनपुर के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० I/1044591/2025—तात्कालिक प्रभाव से सुश्री कविता श्रीवास्तव, सहायक आयुक्त, खण्ड 30, कानपुर को स्थानांतरित करते हुए सहायक आयुक्त, एस०आई०बी०, कानपुर-सी के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० I/1044593/2025—तात्कालिक प्रभाव से मो० दानिश, सहायक आयुक्त, खण्ड 3, बहराइच को स्थानांतरित करते हुए सहायक आयुक्त एवं राज्य प्रतिनिधि, मुजफ्फरनगर के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० I/1044920/2025—शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-I/1029329/2025 दिनांक 17 जुलाई, 2025 द्वारा श्री गुलाब चन्द्र-4, सहायक आयुक्त, खण्ड-2, शिकोहाबाद को स्थानांतरित करते हुए सहायक आयुक्त, भरथना के पद पर तैनात किया गया है। श्री गुलाब चन्द्र-4, सहायक आयुक्त, खण्ड-2, शिकोहाबाद के उक्त स्थानांतरण को व्यवर्तित करते हुए उन्हें सहायक आयुक्त, टैक्स ऑडिट, इटावा के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० I/1044926/2025—शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-I/1029279/2025 दिनांक 17 जुलाई, 2025 द्वारा श्री संतोष कुमार तिवारी-1, सहायक आयुक्त, राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को स्थानांतरित करते हुए सहायक आयुक्त, खण्ड-2, बदायूं के पद पर तैनात किया गया है। श्री संतोष कुमार तिवारी-1, के उक्त स्थानांतरण को व्यवर्तित करते हुए उन्हें सहायक आयुक्त, सचल दल-3, गोरखपुर के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० I/1044932/2025—शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-I/1029289/2025 दिनांक 17 जुलाई, 2025 द्वारा श्री अम्बरीश कुमार सिंह, सहायक आयुक्त, खण्ड-6, राज्य कर, मुजफ्फरनगर को स्थानांतरित करते हुए सहायक आयुक्त, खण्ड-2, मथुरा के पद पर तैनात किया गया है। श्री अम्बरीश कुमार सिंह के उक्त स्थानांतरण को व्यवर्तित करते हुए उन्हें सहायक आयुक्त, सचल दल इकाई, कुशीनगर के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

02 दिसम्बर, 2025 ई०

सं० I/1161653/2025—शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-I/818723/2024, दिनांक 09 दिसम्बर, 2024 द्वारा श्रीमती मधुबाला, संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश, लखनऊ का स्थानान्तरण संयुक्त आयुक्त (एस०आई०बी०) गोंडा के पद पर किया गया। उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध योजित रिट याचिका संख्या-20/2025 मधुबाला बनाम उ०प्र०, राज्य व में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06 जनवरी, 2025 के संगत अंश निम्नवत् हैं—

9- Considering the judgments cited by the petitioner and also considering that in the transfer policy guidelines, framed by the State Government, specially law laid down by Hon'ble Apex Court in the case of Director of School Education, Madras and Others Vs. O. Karuppa Thevan and Another (supra), it is provided that transfer order of the petitioner dated 9-12-2024 as well as reliving order dated 18-12-2024 shall be kept in abeyance and the respondents shall pass fresh orders attaching the petitioner at any post in Lucknow. The said exercise shall be undertaken within 10 days from the date of production of certified copy of this order.

10- The petitioner shall give an undertaking opposite party No-2 to the effect that she shall join at the transferred place of posting immediately on conclusion of the last examination of the daughter of the petitioner *i.e.* 15th May, 2025 without demur alongwith representation and a certified copy of this order.

11- It is provided that the petitioner shall join at the fresh place of posting and shall not raise any dispute with regard to fresh order of transfer.

12- With above directions the writ petition stands disposed of.

2- मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध योजित विशेष अपील सं0-41/2025 उ0प्र0, राज्य व अन्य बनाम मधुबाला में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06 फरवरी, 2025 निम्नवत है—

Heard Sri V.P. Nag, the learned Additional Chief Standing Counsel appearing on behalf of the State, Ms. Anushri, Advocate holding brief of Sri Gaurav Mehrotra, the learned counsel for the opposite party and perused the records.

2. Limited protection has been granted by the writ court to the opposite party for continuing at the place of posting up to 15.05.2025, that too on account of board examinations of her daughter.

3. Having gone through the judgment impugned herein this intra court appeal, we are not convinced that the judgment/order passed by the writ court calls for any interference in exercise of appellate jurisdiction of this court. As such, the intra court appeal being bereft of merit is dismissed.

3- प्रश्नगत विशेष अपील सं0-41/2025 उ0प्र0, राज्य व अन्य बनाम मधुबाला में मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 06 फरवरी, 2025 के विरुद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका सं0-7392/2025 उ0प्र0, राज्य व अन्य बनाम मधुबाला में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20 मार्च, 2025 निम्नवत है—

We are not inclined to interfere with the impugned judgment and order of the High Court- Accordingly, the Special Leave Petition is dismissed.

Pending application (s), if any, shall stand disposed of.

4- रिट याचिका संख्या-20/2025 मधुबाला बनाम उ0प्र0, राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06 जनवरी, 2025 के अनुपालन में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-I/932998/2025 दिनांक 09 अप्रैल, 2025 द्वारा याची श्रीमती मधुबाला, संयुक्त आयुक्त के उक्त स्थानान्तरण आदेश संख्या-I/812723/2024 दिनांक 09 दिसम्बर, 2024 एवं कार्यमुक्त आदेश संख्या-1758 दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को दिनांक 15 मई, 2025 के अपराह्न तक के लिए आस्थगित रखते हुए उन्हें राज्य कर मुख्यालय लखनऊ में संयुक्त आयुक्त के पद पर दिनांक 15 मई, 2025 तक के लिए तैनात किये जाने तथा दिनांक 16 मई, 2025 के पूर्वार्द्ध से संयुक्त आयुक्त, एस0आई0बी0, गोंडा के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु स्वतः कार्यमुक्त माने जाने का आदेश निर्गत किया गया।

5- तत्क्रम में श्रीमती मधुबाला द्वारा दिनांक 11 अप्रैल, 2025 को मुख्यालय में संयुक्त आयुक्त के पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए दिनांक 13 मई, 2025 तक कार्य किया गया तथा दिनांक 14 मई, 2025 को राज्य कर मुख्यालय में अस्वस्थता के कारण कार्यालय में उपस्थित होने में असमर्थता हेतु प्रार्थना-पत्र दिया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के पश्चात श्रीमती मधुबाला, संयुक्त आयुक्त कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई। अतः श्रीमती मधुबाला को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-I/932998/2025 दिनांक 09 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में उन्हें एकपक्षीय रूप से राज्य कर मुख्यालय के आदेश संख्या-649 दिनांक 15 मई, 2025 द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया।

6- उक्त श्रीमती मधुबाला को संयुक्त आयुक्त (वि0अनु0शा0) गोंडा के पद पर स्थान्तरित करने विषयक शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 सपठित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 09 अप्रैल, 2025 को सम्यक विचारोपरांत तात्कालिक प्रभाव से निरस्त करते हुए उन्हें संयुक्त आयुक्त (उ0न्या0कार्य), राज्य कर, लखनऊ के पद पर तैनात किये जाने का आदेश श्री राज्यपाल एतद्वारा प्रदान करती हैं।

नियुक्ति/विज्ञप्ति
30 दिसम्बर, 2025 ई0

सं0 I/1190651/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री अवधेश कुमार सिंह-1, अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील) बांदा को सदस्य (विभागीय) वाणिज्य कर अधिकरण (ग्रेड वेतन-10,000/-, पे मैट्रिक्स लेवल-14) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए सदस्य (विभागीय) वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2 मेरठ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/1190654/2025—तात्कालिक प्रभाव से श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, अपर आयुक्त ग्रेड-1, सहारनपुर को सदस्य (विभागीय) वाणिज्य कर अधिकरण (ग्रेड वेतन-10,000/-, पे मैट्रिक्स लेवल-14) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए सदस्य (विभागीय) वाणिज्य कर अधिकरण, अयोध्या के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

आज्ञा से,
श्याम प्रकाश नारायण,
विशेष सचिव।

कार्यालय-ज्ञाप

08 जनवरी, 2026 ई0

सं0 I/1199368/2026—तात्कालिक प्रभाव से श्रीमती सपना गुप्ता, उपायुक्त, खण्ड-3, मुरादाबाद को उपायुक्त (सुप्रीम कोर्ट वर्क्स) गाजियाबाद से एतद्वारा सम्बद्ध किया जाता है।

सं0 I/1199371/2026—तात्कालिक प्रभाव से श्रीमती अनुपम सरोज, उपायुक्त, एस0आई0बी0, मेरठ को राज्य कर मुख्यालय से एतद्वारा सम्बद्ध किया जाता है।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

31 जनवरी, 2026 ई0

सं0 I/1222839/2026—राज्य कर विभाग में अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर के पद पर कार्यरत श्री राम सनेही विद्यार्थी, अपर आयुक्त ग्रेड-1, कानपुर जोन द्वितीय को सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण (विभागीय) (ग्रेड वेतन-10,000/-, पे मैट्रिक्स लेवल-14) के पद पर दिनांक 01 फरवरी, 2026 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से एतद्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है।

2— पदोन्नत अधिकारी अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण कार्यालय, लखनऊ में तत्काल कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

3— पदोन्नत अधिकारी का तैनाती आदेश पृथक् से निर्गत किया जायेगा।

सं0 I/1222989/2026—राज्य कर विभाग में अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर के पद पर कार्यरत श्री संतोष कुमार-I, अपर आयुक्त ग्रेड-1, अयोध्या को सदस्य (विभागीय) वाणिज्य कर अधिकरण (ग्रेड वेतन-10,000/-, पे मैट्रिक्स लेवल-14) के पद पर दिनांक 01 फरवरी, 2026 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से एतद्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है।

2— पदोन्नत अधिकारी अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण कार्यालय, लखनऊ में तत्काल कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

3— पदोन्नत अधिकारी का तैनाती आदेश पृथक् से निर्गत किया जायेगा।

सं0 I/1222994/2026—श्री राम प्रकाश-III, अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील)-1, कानपुर को अपर आयुक्त ग्रेड-1 (ग्रेड पे रु0 8,900/- पे मैट्रिक्स लेवल-13क) के पद पर यथास्थान दिनांक 01 फरवरी, 2026 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से एतद्वारा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

सं0 I/1222995/2026—श्री रविराज प्रताप मल्ल, अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील)-1, नोएडा को अपर आयुक्त ग्रेड-1 (ग्रेड पे रु0-8,900/- पे मैट्रिक्स लेवल-13क) के पद पर यथास्थान दिनांक 01 फरवरी, 2026 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से एतद्वारा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

सं0 I/1223000/2026—श्री महेन्द्र विक्रम सिंह, अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील)-I, मेरठ को अपर आयुक्त ग्रेड-1 (ग्रेड पे रु0-8,900/- पे मैट्रिक्स लेवल-13क) के पद पर यथास्थान दिनांक 01 फरवरी, 2026 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से एतद्वारा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

सं0 I/1223003/2026—श्रीमती मधुरिमा मित्रा, संयुक्त आयुक्त, राज्य कर मुख्यालय लखनऊ को अपर आयुक्त ग्रेड-2 (ग्रेड पे रु0 8,700/- पे मैट्रिक्स लेवल-13) के पद पर यथास्थान दिनांक 01 फरवरी, 2026 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से एतद्वारा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

सं0 I/1223004/2026—श्री राकेश कुमार कौशल, संयुक्त आयुक्त (एस0आई0बी0), बुलन्दशहर को अपर आयुक्त ग्रेड-2 (ग्रेड पे रु0 8,700/- पे मैट्रिक्स लेवल-13) के पद पर यथास्थान दिनांक 01 फरवरी, 2026 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से एतद्वारा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

सं0 I/1223005/2026—श्री संजय कुमार-IV, संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण), लखनऊ को अपर आयुक्त ग्रेड-2 (ग्रेड पे रु0-8,700/- पे मैट्रिक्स लेवल-13) के पद पर यथास्थान दिनांक 01 फरवरी, 2026 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से एतद्वारा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

शुद्धि-पत्र

सं0 I/1223139/2026—शासन के प्रोन्नति/विज्ञप्ति आदेश संख्या-I/1223004/2026, दिनांक 31 जनवरी, 2026 द्वारा श्री राकेश कुमार कौशल, संयुक्त आयुक्त (एस0आई0बी0), बुलन्दशहर को अपर आयुक्त ग्रेड-2 (ग्रेड पे रु0 8,700/- पे मैट्रिक्स लेवल-13) के पद पर यथास्थान दिनांक 01 फरवरी, 2026 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से प्रोन्नति प्रदान की गयी है।

2— उक्त प्रोन्नति/विज्ञप्ति आदेश दिनांक 31 जनवरी, 2026 में त्रुटिवश श्री राकेश कुमार कौशल, संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक), सहारनपुर (बी) के स्थान पर श्री राकेश कुमार कौशल, संयुक्त आयुक्त (एस0आई0बी0), बुलन्दशहर अंकित हो गया है।

3— अतः श्री राकेश कुमार कौशल, संयुक्त आयुक्त (एस0आई0बी0), बुलन्दशहर के स्थान पर श्री राकेश कुमार कौशल, संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक), सहारनपुर (बी) पढ़ा व समझा जाये।

नियुक्ति/विज्ञप्ति

28 फरवरी, 2026 ई०

सं० I/1255807/2026—तात्कालिक प्रभाव से श्री संतोष कुमार-I (110315), नवपदोन्नत सदस्य (विभागीय) वाणिज्य कर अधिकरण को सदस्य (विभागीय) वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, गाजियाबाद के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० I/1255810/2026—तात्कालिक प्रभाव से श्री राम सनेही विद्यार्थी (108724), नवपदोन्नत सदस्य (विभागीय) वाणिज्य कर अधिकरण को सदस्य (विभागीय) वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, लखनऊ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

विज्ञप्ति/तैनाती

सं० I/1256209/2026—तात्कालिक प्रभाव से श्री भूपेन्द्र शुक्ला (101650), अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को अपर आयुक्त ग्रेड-1, ट्रेनिंग सेन्टर, लखनऊ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० I/1256210/2026—तात्कालिक प्रभाव से श्री महेन्द्र विक्रम सिंह (105467), नवपदोन्नत अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर को अपर आयुक्त ग्रेड-1, (उच्च न्यायालय कार्य) प्रयागराज के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० I/1256211/2026—तात्कालिक प्रभाव से श्री रविराज प्रताप मल्ल (108807), नवपदोन्नत अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर को अपर आयुक्त ग्रेड-1, अलीगढ़ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० I/1256212/2026—तात्कालिक प्रभाव से श्री राम प्रकाश-III (108701), नवपदोन्नत अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर को अपर आयुक्त ग्रेड-1, लखनऊ-II के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० I/1256213/2026—तात्कालिक प्रभाव से श्री विजय प्रकाश राम (112110), नवपदोन्नत अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर को अपर आयुक्त ग्रेड-1, कानपुर-II के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० I/1256214/2026—तात्कालिक प्रभाव से श्री दीनानाथ (102385), नवपदोन्नत अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर को अपर आयुक्त ग्रेड-1, गोरखपुर के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० I/1256215/2026—तात्कालिक प्रभाव से श्री राम प्रवेश प्रसाद (108713), नवपदोन्नत अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर को अपर आयुक्त ग्रेड-1, प्रयागराज के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं० I/1256216/2026—तात्कालिक प्रभाव से श्रीमती रुबी सिंह (108835), नवपदोन्नत अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर को अपर आयुक्त ग्रेड-1, सहारनपुर के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/1256217/2026—तात्कालिक प्रभाव से श्री सर्वजीत (110322), नवपदोन्नत अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर को अपर आयुक्त ग्रेड-1, लखनऊ-1 के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/1256218/2026—तात्कालिक प्रभाव से श्री नन्हू लाल सोनी (105911), नवपदोन्नत अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर को अपर आयुक्त ग्रेड-1, बरेली के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 I/1256219/2026—तात्कालिक प्रभाव से श्री बृजेश कुमार मिश्रा (101682), अपर आयुक्त ग्रेड-1 सम्प्रति संयुक्त सचिव (विभागीय), राज्य कर, उ0प्र0, शासन को अपर आयुक्त ग्रेड-1, अयोध्या के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

आज्ञा से,
राहुल पाण्डेय,
विशेष सचिव।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 01 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 10, 1948 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

कार्यालय, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी

आकार पत्र-1

आदेश

29 जनवरी, 2025 ई०

सं० 326/12ए-एल०आर०ए०-34(2024-25)-जिलाधिकारी, झाँसी के पत्रांक संख्या-789/12ए-डी०एल०आर०सी०/पुनर्ग्रहण/2024-25 दिनांक 22 जनवरी, 2025 में की गयी संस्तुति पर शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) खण्ड-(ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये तथा शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 के अधीन, मैं, बिमल कुमार दुबे, आई०ए०एस०, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	डोंगरी	392	1.4970	श्रेणी-6-4	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क) निर्धारित रेट सूची के अनुसार मूल्य रु0 7,97,87,000/- (सात करोड़ सन्तानबे लाख सतासी हजार मात्र)
					699	0.2430	पत्थर की भूमि	
					81	0.5910		
					334	8.6610		
					442ग	25.5310		
					440	5.3660		
					108	31.5000		
					346	6.0740		
					698	0.3240		
					योग .	79.7870		

सं0 327 / 12ए-एल0आर0ए0-35(2024-25)—जिलाधिकारी, झाँसी के पत्र संख्या-806 / 12ए-डी0एल0आर0सी0 / पुनर्ग्रहण / 2024-25 दिनांक 27 जनवरी, 2025 में की गयी संस्तुति पर शासनादेश संख्या-744 / एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) खण्ड-(ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740 / एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा शासनादेश संख्या-578 / एक-1-1099 / 46 / 2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 के अधीन, मैं, बिमल कुमार दुबे, आई0ए0एस0, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	डोमागोर	5	0.3040	श्रेणी-6-4	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क) निर्धारित रेट सूची के अनुसार मूल्य रु0 47,97,800/- (सैतालीस लाख सन्तानबे हजार आठ सौ मात्र)
					15	0.2670	पत्थर की भूमि	
					19	0.0880		
					91	0.7690		
					93	0.3240		
					119ग	1.4970		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
					502	0.6370	श्रेणी-6-4	बुन्देलखण्ड औद्योगिक
					638ड	0.0240	पत्थर की	विकास प्राधिकरण (बीड़ा)
					757घ	0.5350	भूमि	विकसित करने हेतु
					395ग	0.3860		(निःशुल्क) निर्धारित रेट
					9ख	2.0230		सूची के अनुसार मूल्य रु0
								47,97,800/- (सैतालीस
								लाख सन्तानबे हजार आठ
								सौ मात्र)
					योग.	6.8540		

सं0 328/12ए-एल0आर0ए0-20(2024-25)—जिलाधिकारी, झाँसी के पत्र संख्या-789/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुनर्ग्रहण/2024-25 दिनांक 22 जनवरी, 2025 में की गयी संस्तुति पर शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) खण्ड-(ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 के अधीन, मैं, बिमल कुमार दुबे, आई0ए0एस0, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	खजराहा खुर्द	214	0.0970	श्रेणी-5(3)ड	बुन्देलखण्ड औद्योगिक
					255	0.0280	बंजर की भूमि	विकास प्राधिकरण
					492	0.3640		(बीड़ा) विकसित करने
					502	0.0080		हेतु (निःशुल्क) निर्धारित
					512	0.0360		रेट सूची के अनुसार
					518	0.0160		मूल्य रु0 51,19,200/-
					520	0.0280		(इक्यावन लाख उन्नीस
					522	0.2790		हजार दो सौ रु0) मात्र

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
					526	0.2230	श्रेणी-5(3)ड	बुन्देलखण्ड औद्योगिक
					543	0.1330	बंजर की भूमि	विकास प्राधिकरण
					570	0.0530		(बीड़ा) विकसित करने
					575	0.2870		हेतु (निःशुल्क) निर्धारित
					581	0.0690		रेट सूची के अनुसार
					612	0.0810		मूल्य रु0 51,19,200/-
					620	0.1380		(इक्यावन लाख उन्नीस
					629	0.0120		हजार दो सौ रु0) मात्र
					634	0.1780		
					645	0.0490		
					646	0.1780		
					650	0.0400		
					662	0.0450		
					666	0.0490		
					695	0.0650		
					700	0.0690		
					717	0.1420		
					720	0.1380		
					726	0.0280		
					734	0.0280		
					735	0.0400		
					747	0.1010		
					749	0.0320		
					830	0.0400		
					831	0.0570		
					836	0.0450		
					838	0.0650		
					839	0.0570		
					862	0.0280		
					891	0.0610		
					899	0.0200		
					904	0.0730		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
					906	0.0200	श्रेणी-5(3)ड	बुन्देलखण्ड औद्योगिक
					923	0.0280	बंजर की भूमि	विकास प्राधिकरण
					978	0.0320		(बीड़ा) विकसित करने
					979	0.0120		हेतु (निःशुल्क) निर्धारित
					982	0.0530		रेट सूची के अनुसार
					1006	0.0970		मूल्य रु0 51,19,200/-
					1063	0.0360		(इक्यावन लाख उन्नीस
					1069	0.1620		हजार दो सौ रु0) मात्र
					1072	0.0410		
					1074	0.0450		
					1088	0.0200		
					1129	0.0650		
					1137	0.0160		
					1186	0.0360		
					1195	0.3720		
					1197	0.1170		
					1209	0.0240		
					1268	0.0160		
					1324	0.0040		
					1365	0.0040		
					1370	0.0040		
					1399	0.1250		
					1422	0.0160		
					1432	0.0400		
					1436	0.0570		
					1450	1.1170		
					1469	0.3600		
					योग .	6.3990		

14 फरवरी, 2025 ई0

सं0 368/12ए-एल0आर0ए0-42(2024-25)-जिलाधिकारी, झाँसी के पत्र संख्या-850/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुनर्ग्रहण/2024-25 दिनांक 10 फरवरी, 2025 में की गयी संस्तुति पर शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) खण्ड-(ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 के अधीन, मैं, बिमल कुमार दुबे, आई0ए0एस0, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ-

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	सिमरा	58	0.0280	श्रेणी-6-4	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क) मूल्य रु0 94,19,000/- (रु0 चौरानवे लाख उन्नीस हजार मात्र)
					1781	0.2430	पत्थर	
					1788मि0	0.2820		
					1823	0.4570		
					1886	5.5320		
					2052	0.1130		
					2243मि0	0.0080		
					2244	0.0490		
					2245	0.00530		
					2246मि0	0.0200		
					2247मि0	0.2390		
					2251मि0	0.4940		
					2255	0.0810		
					2265मि0	0.2590		
					2266मि0	0.2180		
					2269	0.3030		
					2273	0.2430		
					2275	0.2550		
					2293	0.1820		
					2299	0.2550		
					2628	0.1050		
					योग .	9.4190		

21 फरवरी, 2025 ई0

सं0 395/12ए-एल0आर0ए0-21(2024-25)-जिलाधिकारी, झाँसी के पत्र संख्या-890/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुनर्ग्रहण/2024-25 दिनांक 18 फरवरी, 2025 में की गयी संस्तुति पर शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) खण्ड-(ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 के अधीन, मैं, बिमल कुमार दुबे, आई0ए0एस0, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ-

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	राजापुर	13	0.0930	श्रेणी-5-3(ड)	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क) निर्धारित रेट सूची के अनुसार मूल्य रु0 94,19,900/- (रु0 चौरानवे लाख उन्नीस हजार मात्र)
					25	0.0080	बंजर	
					30	0.5140		
					32	0.3000		
					37	0.5140		
					40	0.1300		
					50	0.0690		
					62	0.0120		
					64	0.3360		
					68मि0	0.2590		
					73	0.0490		
					75	0.5670		
					87मि0	0.4570		
					109	0.0120		
					156	0.0160		
					295	0.1330		
					297मि0	0.5870		
					299	0.0570		
					302	0.0240		
					303	0.0970		
					308	0.0400		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
					334	0.2190	श्रेणी-5-3(ड़)	बुन्देलखण्ड औद्योगिक
					340	0.1130	बंजर	विकास प्राधिकरण
					351	0.1740		(बीड़ा) विकसित करने
					355	0.2140		हेतु (निःशुल्क) निर्धारित
					359	0.1580		रेट सूची के अनुसार
					371	0.0400		मूल्य रु० 94,19,900/-
					379	0.0040		(रु० चौरानवे लाख
					395	0.0570		उन्नीस हजार मात्र)
					398	0.0600		
					461	0.0360		
					494	0.1660		
					509	0.0600		
					587	0.0850		
					698	0.0200		
					713	0.0730		
					788मि०	0.4050		
					1019मि०	0.0280		
					1020	0.0360		
					1021मि०	0.0200		
					1032	0.0320		
					1255	0.0440		
					1258	0.1420		
					1465	0.0930		
					1480	0.0400		
					1603मि०	0.0810		
					1604मि०	0.0320		
					1610	0.1500		
					1666	0.0530		
					1908	0.1090		
					1952मि०	0.0200		
					1983	0.0490		
					2031मि०	0.0040		
					2035	0.0570		
					2039	0.0850		
					योग .	7.2330		

07 मार्च, 2025 ई0

सं0 424 / 12ए-एल0आर0ए0-44(2024-25)-जिलाधिकारी, झाँसी के पत्र संख्या-920 / 12ए-डी0एल0आर0सी0 / पुनर्ग्रहण / 2024-25 दिनांक 03 मार्च, 2025 में की गयी संस्तुति पर शासनादेश संख्या-744 / एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) खण्ड-(ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740 / एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा शासनादेश संख्या-578 / एक-1-1099 / 46 / 2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 के अधीन, मैं, बिमल कुमार दुबे, आई0ए0एस0, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ-

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	अमरपुर	291	0.1580	श्रेणी-5-3	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क) मूल्य रु0 87,78,000/- (रु0 सत्तासी लाख अठत्तर हजार मात्र)
					349	0.1090	बंजर	
					423	0.0930		
					424 / 3	0.0320		
					537	0.2710		
					539	0.0320		
					571	0.1010		
					573	0.1740		
					574	0.0360		
					579	0.0240		
					613 / 1	0.0810		
					614	0.0650		
					615	0.0530		
					622	0.0610		
					646	0.1210		
					649	0.0400		
					666	0.0280		
					824	0.0400		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	अमरपुर	830	0.0730	श्रेणी-5-3	बुन्देलखण्ड औद्योगिक
					831	0.1380	बंजर	विकास प्राधिकरण
					866	0.1170		(बीड़ा) विकसित करने
					896	0.0240		हेतु (निःशुल्क) मूल्य
					898	0.0690		रु0 87,78,000/- (रु0
					909	0.5340		सतासी लाख अठत्तर
					919	0.1450		हजार मात्र)
					920	0.0200		
					935	0.1740		
					938	0.0160		
					949	0.1380		
					950	0.3440		
					951	0.0890		
					999	0.2060		
					1004	0.0810		
					1006	0.0930		
					1008	0.1290		
					1011	0.0400		
					1012	0.0890		
					1014	0.0400		
					1020	0.1820		
					1022	0.1940		
					1027	0.2950		
					1029	0.0400		
					1032	0.0240		
					1033	0.0810		
					1034	0.0770		
					1044	0.0770		
					1083	0.0240		
					1086	0.0610		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	अमरपुर	1087	0.1450	श्रेणी-5-3	बुन्देलखण्ड औद्योगिक
					1092 / 1455	0.0490	बंजर	विकास प्राधिकरण
					1107	0.2630		(बीड़ा) विकसित करने
					1109	0.0690		हेतु (निःशुल्क) मूल्य
					1119	0.3360		रु0 87,78,000/- (रु0
					1128	0.0450		सतासी लाख अठत्तर
					1176	0.0890		हजार मात्र)
					1188	0.0240		
					1190	0.0240		
					1192	0.0240		
					1201	0.1130		
					1206	0.0610		
					1208	0.0410		
					1223	0.0040		
					1226	0.0970		
					1229	0.0490		
					1232	0.0400		
					1235	0.0730		
					1237	0.0610		
					1274	0.0280		
					1275	0.00400		
					1276	0.0730		
					1277	0.1780		
					1280	0.0890		
					1281 / 3	0.1210		
					1281 / 1	0.2430		
					1281 / 2	0.0240		
					1282	0.0770		
					1311	0.1700		
					1331	0.2790		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	अमरपुर	1342	0.0040	श्रेणी-5-3	बुन्देलखण्ड औद्योगिक
					1348	0.1170	बंजर	विकास प्राधिकरण
					1358	1.1250		(बीड़ा) विकसित करने
					1362	0.3600		हेतु (निःशुल्क) मूल्य
					1366	0.0040		रु0 87,78,000/- (रु0
					1368	0.2830		सतासी लाख अठत्तर
					1369	0.0690		हजार मात्र)
					1371	0.2670		
					1380	0.0810		
					1383	0.0120		
					1384	0.3720		
					1385	0.0690		
					1396	0.1940		
					1399	0.1900		
					1412	0.1130		
					1416/2	0.2830		
					1438	0.7770		
					1441	0.1940		
योग . .						12.5400		

07 मार्च, 2025 ई0

सं0 425/12ए-एल0आर0ए0-30(2024-25)—जिलाधिकारी, झाँसी के पत्रांक संख्या-921/12ए-डी0एल0आर0सी0/ पुनर्ग्रहण/2024-25 दिनांक 03 मार्च, 2025 में की गयी संस्तुति पर शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) खण्ड-(ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 के अधीन, मैं, बिमल कुमार दुबे, आई0ए0एस0, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	सिमरा	30	0.1580	श्रेणी-5-3	बुन्देल खण्ड औद्योगिक
					34	0.2390	बंजर	विकास प्राधिकरण
					37	0.0570		(बीडा) विकसित करने
					38	0.1170		हेतु (निःशुल्क) मूल्य
					39	0.5500		रु० 9,39,36,000/- (रु०
					60मि०	0.0040		नौ करोड़ उन्तालीस
					65	0.2140		लाख छत्तीस हजार
					988	0.0400		मात्र)
					1400मि०	0.1290		
					1420	0.0850		
					1421मि०	0.0810		
					1423	0.0400		
					1438	0.0450		
					1463	0.0570		
					1464	0.1300		
					1464 / 2740	0.0320		
					1465मि०	0.1940		
					1518 / 2760	0.0570		
					1531	0.1210		
					1625 / 2	0.2680		
					1645मि०	0.0810		
					1646	0.1050		
					1656मि०	0.0650		
					1670	0.0240		
					1673	0.3680		
					1675	0.0080		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	सिमरा	1679	0.0450	श्रेणी-5-3	बुन्देल खण्ड औद्योगिक
					1685	0.0200	बंजर	विकास प्राधिकरण
					1693	0.0690		(बीडा) विकसित करने
					1711मि0	0.4010		हेतु (निःशुल्क) मूल्य
					1712मि0	0.0550		रु0 9,39,36,000/- (रु0
					1717	0.1010		नौ करोड़ उन्तालीस
					1717मि0	0.6770		लाख छत्तीस हजार
					1722मि0	0.5950		मात्र)
					1728मि0	0.1690		
					1729मि0	1.3890		
					1730मि0	0.2710		
					1731मि0	0.0480		
					1737	0.0320		
					1754	0.3560		
					1756मि0	0.0500		
					1759	0.1140		
					1760	0.0410		
					1761	0.2630		
					1762मि0	0.0690		
					1763	0.1010		
					1764	0.0890		
					1765मि0	0.0320		
					1766	0.0280		
					1771	0.0160		
					1772	0.0400		
					1773	0.0410		
					1774	0.1210		
					1783	0.0890		
					1787मि0	0.0200		
					1789	0.2750		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	सिमरा	1793	0.2230	श्रेणी-5-3	बुन्देल खण्ड औद्योगिक
					1794मि0	0.2360	बंजर	विकास प्राधिकरण
					1796	0.1860		(बीडा) विकसित करने
					1797	0.6880		हेतु (निःशुल्क) मूल्य
					1798	0.1130		रु0 9,39,36,000/- (रु0
					1799	0.0730		नौ करोड़ उन्तालीस
					1800	1.3920		लाख छत्तीस हजार
					1801 / 2	0.4050		मात्र)
					1802 / 2	0.5540		
					1807मि0	0.2420		
					1810मि0	0.7410		
					1811मि0	0.1870		
					1812	1.0760		
					1814	0.3000		
					1815मि0	0.2070		
					1816मि0	0.1790		
					1818मि0	0.0080		
					1824मि0	0.0240		
					1834	0.3140		
					1874मि0	0.0850		
					1881	0.1780		
					1884	0.0610		
					1885मि0	0.0850		
					1889	0.1380		
					1898मि0	0.1660		
					1901मि0	0.0040		
					1902	0.0970		
					1914	0.1940		
					1918	0.0690		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	सिमरा	1942	0.1090	श्रेणी-5-3	बुन्देल खण्ड औद्योगिक
					1942मि0	0.0360	बंजर	विकास प्राधिकरण
					1944	0.0080		(बीडा) विकसित करने
					1946	0.2830		हेतु (निःशुल्क) मूल्य
					1949	0.6270		रु0 9,39,36,000/- (रु0
					1950	0.0970		नौ करोड़ उन्तालीस
					1951	0.1660		लाख छत्तीस हजार
					1955मि0	0.6880		मात्र)
					1956मि0	0.5020		
					1957मि0	0.8090		
					1960	0.7240		
					1961	0.0520		
					1962मि0	0.4890		
					1963मि0	0.1620		
					1964	0.4690		
					1969	0.1660		
					1972मि0	0.0430		
					1978	0.7320		
					1979	0.7610		
					1981	0.3080		
					1984	0.2590		
					1986	0.0200		
					1999मि0	0.0300		
					2014मि0	0.5750		
					2015मि0	0.1100		
					2021मि0	5.3090		
					2022मि0	1.3070		
					2024मि0	0.3710		
					2025	0.1420		
					2027	0.4250		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	सिमरा	2028	0.5020	श्रेणी-5-3	बुन्देल खण्ड औद्योगिक
					2029	0.8380	बंजर	विकास प्राधिकरण
					2030	0.3240		(बीडा) विकसित करने
					2031	0.3280		हेतु (निःशुल्क) मूल्य
					2032	0.9750		रु0 9,39,36,000/- (रु0
					2033	0.2510		नौ करोड़ उन्तालीस
					2034	0.1780		लाख छत्तीस हजार
					2035	0.1460		मात्र)
					2036मि0	0.0050		
					2043	0.1130		
					2044	0.0360		
					2045	0.0890		
					2046	0.0850		
					2047	0.2100		
					2053	0.0810		
					2065	0.1700		
					2066	0.2100		
					2067	0.1130		
					2068	0.1540		
					2069मि0	0.0280		
					2069	0.0280		
					2070	0.3440		
					2075	0.1250		
					2076	0.0160		
					2777	0.4650		
					2101	0.2510		
					2102मि0	0.4610		
					2103मि0	0.8090		
					2104मि0	0.1900		
					2118	0.2430		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	सिमरा	2126 / 2760	0.0690	श्रेणी-5-3	बुन्देल खण्ड औद्योगिक
					2126 / 2759	0.0690	बंजर	विकास प्राधिकरण
					2128	1.5460		(बीडा) विकसित करने
					2137	0.1660		हेतु (निःशुल्क) मूल्य
					2140	0.1420		रु० 9,39,36,000/- (रु०
					2141मि०	0.0280		नौ करोड़ उन्तालीस
					2149मि०	0.8250		लाख छत्तीस हजार
					2151मि०	0.1810		मात्र)
					2154मि०	0.0120		
					2155मि०	0.1980		
					2156मि०	0.0610		
					2159मि०	0.0400		
					2161	0.0040		
					2167	0.2630		
					2171	0.0160		
					2176	0.1460		
					2177	0.0400		
					2178मि०	0.0080		
					2179मि०	0.0610		
					2182मि०	0.1420		
					2185मि०	0.2020		
					2186मि०	0.0490		
					2187मि०	0.4090		
					2188	0.2870		
					2189मि०	0.2670		
					2190मि०	0.5220		
					2191मि०	0.3280		
					2192मि०	1.0760		
					2195	0.3480		
					2195मि०	0.4330		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	सिमरा	2197मि०	0.0280	श्रेणी-5-3	बुन्देल खण्ड औद्योगिक
					2198	0.0610	बंजर	विकास प्राधिकरण
					2199	0.1660		(बीडा) विकसित करने
					2206मि०	0.0170		हेतु (निःशुल्क) मूल्य
					2208मि०	0.4700		रु० 9,39,36,000/- (रु०
					2209मि०	0.0280		नौ करोड़ उन्तालीस
					2210मि०	0.5100		लाख छत्तीस हजार
					2212	0.0160		मात्र)
					2213	0.0160		
					2215मि०	0.0080		
					2222मि०	0.0730		
					2223मि०	0.0440		
					2225	0.0730		
					2226मि०	0.5260		
					2226	0.3800		
					2227	0.1300		
					2228	0.1380		
					2229	0.1620		
					2230मि०	0.3800		
					2231मि०	0.2410		
					2232मि०	0.0100		
					2233मि०	0.0810		
					2234मि०	0.2020		
					2235	0.0730		
					2236	0.0280		
					2244	0.0280		
					2241	0.2430		
					2242	0.3920		
					2252	0.0400		
					2254मि०	0.2010		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	सिमरा	2259	0.0530	श्रेणी-5-3	बुन्देल खण्ड औद्योगिक
					2261मि0	0.0080	बंजर	विकास प्राधिकरण
					2262मि0	0.0240		(बीडा) विकसित करने
					2263	0.0360		हेतु (निःशुल्क) मूल्य
					2234	0.3160		रु0 9,39,36,000/- (रु0
					2265	0.0240		नौ करोड़ उन्तालीस
					2274मि0	0.0570		लाख छत्तीस हजार
					2278मि0	0.0650		मात्र)
					2279मि0	0.0650		
					2280	0.0240		
					2282	0.0650		
					2283मि0	0.0890		
					2285	0.0400		
					2289	0.0650		
					2291	0.1170		
					2292मि0	0.4050		
					2294	0.2830		
					2295	0.1050		
					2296मि0	0.3680		
					2300	0.9390		
					2301मि0	0.0280		
					2302	0.2870		
					2303मि0	1.6470		
					2305	0.1050		
					2306	0.0810		
					2307	0.1460		
					2308मि0	0.0970		
					2308	0.4050		
					2309	0.1250		
					2310	0.3680		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	सिमरा	2311मि०	0.1030	श्रेणी-5-3	बुन्देल खण्ड औद्योगिक
					2314	0.0530	बंजर	विकास प्राधिकरण
					2315	0.3000		(बीडा) विकसित करने
					2316मि०	0.1610		हेतु (निःशुल्क) मूल्य
					2318	0.5500		रु० 9,39,36,000/- (रु०
					2319मि०	38780		नौ करोड़ उन्तालीस
					2320	0.2830		लाख छत्तीस हजार
					2321	0.1700		मात्र)
					2322	0.3600		
					2323	0.4650		
					2324	0.1300		
					2325	1.1450		
					2329	0.0610		
					2330मि०	0.2270		
					2331	0.0400		
					2332मि०	0.3720		
					2333	0.0570		
					2336	0.3640		
					2339मि०	0.0160		
					2341मि०	0.0850		
					2341मि०	0.0530		
					2342मि०	0.0890		
					2343	0.3890		
					2344	0.0810		
					2346मि०	0.0650		
					2348मि०	0.0970		
					2350मि०	0.0160		
					2351	0.4010		
					2352मि०	0.1300		
					2354	0.3400		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	सिमरा	2355	1.0810	श्रेणी-5-3	बुन्देल खण्ड औद्योगिक
					2356	0.8460	बंजर	विकास प्राधिकरण
					2357मि0	0.0650		(बीडा) विकसित करने
					2358मि0	0.5660		हेतु (निःशुल्क) मूल्य
					2359	0.0690		रु0 9,39,36,000/- (रु0
					2360मि0	0.2420		नौ करोड़ उन्तालीस
					2361मि0	0.3580		लाख छत्तीस हजार
					2362मि0	1.4820		मात्र)
					2363मि0	0.4050		
					2364मि0	1.1420		
					2365	0.2710		
					2366मि0	0.2310		
					2379	1.1820		
					2587	0.0610		
					योग.	78.2800		

12 मार्च, 2025 ई0

सं0 438/12ए-एल0आर0ए0-46(2024-25)—जिलाधिकारी, झाँसी के पत्रांक संख्या-936/12ए-डी0एल0आर0सी0/ पुनर्ग्रहण/2024-25 दिनांक 06 मार्च, 2025 में की गयी संस्तुति पर शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) खण्ड-(ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये तथा शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 के अधीन, मैं, बिमल कुमार दुबे, आई0ए0एस0, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	चमरौआ	288	0.2710	श्रेणी-5-3	बुन्देलखण्ड औद्योगिक
					5	0.1620	बंजर	विकास प्राधिकरण
					1054	0.2910		(बीडा) विकसित करने
					1055	0.1860		हेतु (निःशुल्क) मूल्य रु०
					1056	0.1540		76,26,400/- (रुपये
					1064	0.2270		छिहत्तर लाख छब्बीस
					1258	0.8020		हजार चार सौ मात्र)
					1339 / 2	0.4130		
					2192 मि०	0.8980		
					2202 / 2	0.9310		
					2448 / 3	1.4610		
					2502 / 2	1.0360		
					2713	0.6070 में से 0.1250		
					2763	1.1280		
					2776 / 2 मि०	1.4480		
					योग.	9.5330		

सं० 439/12ए-एल०आर०ए०-47(2024-25)—जिलाधिकारी, झाँसी के पत्रांक-935/12ए-डी०एल०आर०सी०/पुनर्ग्रहण/2024-25 दिनांक 06 मार्च, 2025 में की गयी संस्तुति पर शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) खण्ड-(ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये तथा शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 के अधीन, मैं, बिमल कुमार दुबे, आई०ए०एस०, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

अनुसूची

क्रम सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	बाजना	89 / 1313	0.0520	श्रेणी-5-3	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क) मूल्य रु० 21,13,35,800/- (रुपये इक्कीस करोड़ तेरह लाख पैंतीस हजार आठ सौ रुपये मात्र)
					107	0.1620	बंजर	
					164	2.3470		
					169	1.6960		
					191	0.1170		
					255	4.0220		
					256	0.1210		
					257	0.6880		
					258	0.6320		
					259	0.4050		
					262	0.9950		
					264	5.0830		
					283	0.0570		
					284	0.3360		
					285	0.2590		
					286	0.0650		
					287	0.1340		
					288	0.2270		
					289	0.5140		
					290	0.5910		
					291	1.3840		
					292	0.2350		
					293	0.1420		
					314	0.2430		
					332	1.9430		
					348 / 1315	0.8620		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	बाजना	414	1.1930	श्रेणी-5-3	बुन्देलखण्ड औद्योगिक
					415	1.6680	बंजर	विकास प्राधिकरण
					416	0.7250		(बीडा) विकसित करने
					417	1.4000		हेतु (निःशुल्क) मूल्य रु0
					418	1.8900		21,13,35,800/- (रुपये
					419	2.1810		इक्कीस करोड़ तेरह
					420	3.6260		लाख पैंतीस हजार आठ
					421	1.2710		सौ रुपये मात्र)
					422	4.7310		
					423	1.3760		
					424	1.6800		
					425	26.1770		
					426	2.4240		
					427	0.2790		
					429	0.9260		
					430	3.2830		
					562	0.7000		
					581	0.0230		
					584	0.7000		
					588	1.1210		
					594	0.0890		
					595	1.5620		
					597	0.2790		
					598	0.2630		
					599	0.5550		
					600	1.7770		
					609	0.1210		
					638	2.4110		
					640	0.0930		
					641	0.0690		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	बाजना	642	0.4130	श्रेणी-5-3	बुन्देलखण्ड औद्योगिक
					643	0.0480	बंजर	विकास प्राधिकरण
					647	0.8580		(बीडा) विकसित करने
					648	0.0810		हेतु (निःशुल्क) मूल्य रु०
					649	0.2110		21,13,35,800/- (रुपये
					650	0.1980		इक्कीस करोड़ तेरह
					651	0.0450		लाख पैंतीस हजार आठ
					691	1.3600		सौ रुपये मात्र)
					692	0.0570		
					693	1.8780		
					694	0.8130		
					695	2.3550		
					696	1.8050		
					697	1.4410		
					698	1.2790		
					701	1.7080		
					702	0.2200		
					703	0.5180		
					704	0.7450		
					866	0.0320		
					882	0.1250		
					969	0.7000		
					1014	0.0480		
					1111	0.1210		
					1137	0.1980		
					1183	1.2540		
					1186	1.5090		
					1191	0.8580		
					1192	0.5900		
					1193	0.6640		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	बाजना	1194	0.1420	श्रेणी-5-3	बुन्देलखण्ड औद्योगिक
					1195	0.2140	बंजर	विकास प्राधिकरण
					1196	0.3120		(बीडा) विकसित करने
					1197	0.1460		हेतु (निःशुल्क) मूल्य रु०
					1201	0.9260		21,13,35,800/- (रुपये
					1202	0.7930		इक्कीस करोड़ तेरह
					1203	0.0530		लाख पैंतीस हजार आठ
					1204	0.4500		सौ रुपये मात्र)
					1204	0.0240		
					1205	0.0330		
					1206	1.2910		
					1209	1.4890		
					1210	0.4910		
					1211	0.2470		
					1212	0.0970		
					1213	1.1410		
					1214	0.0340		
					1215	0.0280		
					1217	0.0850		
					1218	0.8700		
					1219	2.1200		
					1220	0.7980		
					1221	0.1540		
					1222	0.2270		
					1223	0.1540		
					1224	0.3440		
					1225	0.1340		
					1226	0.1210		
					1227	0.1420		
					1229	0.0810		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	बाजना	1228	4.5720	श्रेणी-5-3	बुन्देलखण्ड औद्योगिक
					1230	0.5180	बंजर	विकास प्राधिकरण
					1231	0.8250		(बीडा) विकसित करने
					1232	0.1910		हेतु (निःशुल्क) मूल्य रु0
					1233	0.0360		21,13,35,800/- (रुपये
					1234	0.1900		इक्कीस करोड़ तेरह
					1235	0.2140		लाख पैंतीस हजार आठ
					1236	0.0650		सौ रुपये मात्र)
					1237	0.0280		
					1238	0.1250		
					1239	0.6800		
					1240	0.3680		
					1241	0.1700		
					1242	0.9790		
					1243	0.6280		
					1246	0.7770		
					1256	0.1010		
					1257	0.1620		
					1259	0.1660		
					1261	0.0610		
					1262	0.0890		
					1263	0.0970		
					1264	0.1380		
					1265	0.2670		
					1270	0.1300		
					1271	0.7730		
					1275	1.2460		
					1278	0.3210		
					1279	1.3110		
					1281	0.0360		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	बाजना	1283	0.3020	श्रेणी-5-3	बुन्देलखण्ड औद्योगिक
					1286	1.4240	बंजर	विकास प्राधिकरण
					1291	0.3720		(बीडा) विकसित करने
					1295	0.9300		हेतु (निःशुल्क) मूल्य रु0
					1298/7	19.9300		21,13,35,800/- (रुपये
					1298/8	0.4050		इक्कीस करोड़ तेरह
					1303	0.0930		लाख पैंतीस हजार आठ
					973	0.2000		सौ रुपये मात्र)
					1310	0.6680		
					योग .	162.5660		

07 मई, 2025 ई0

सं0 569/12ए-एल0आर0ए0-49(2024-25)—जिलाधिकारी, झाँसी के पत्रांक संख्या-1039/12ए-डी0एल0आर0सी0/ श्रेणी परिवर्तन/2024-25 दिनांक 21 अप्रैल, 2025 में की गयी संस्तुति पर शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) खण्ड-(ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये तथा शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 के अधीन, मैं, बिमल कुमार दुबे, आई0ए0एस0, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

अनुसूची

क्र0	जिला	तहसील व परगना	गांव	गांवसभा/स्था0निकाय की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।			गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।		
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					हेक्टेयर			हेक्टेयर	
1	झाँसी	झाँसी	बैदौरा	1	1.1410	श्रेणी-6(1) नाला	19/3	1.9870	श्रेणी-5(3)इ अन्य
				1200	1.1370	के स्थान पर	47मि0	1.3880	कृषि योग्य बंजर
				110	1.0760	श्रेणी-5(3) अन्य	105	0.2020	के स्थान पर
				52/2102	0.8300	कृषि योग्य बंजर	201	0.5500	श्रेणी-6(1) नाला

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					हेक्टेयर			हेक्टेयर	
1	झाँसी	झाँसी	बैदौरा	64	0.5340	श्रेणी-6(1) नाला	245/1	0.6920	श्रेणी-5(3) अन्ध
				2034	0.5240	के स्थान पर	317मि०	0.3550	कृषि योग्य बंजर
				104	0.3930	श्रेणी-5(3) अन्ध	197/5	0.2790	के स्थान पर
				2080	0.2830	कृषि योग्य बंजर	368/3	0.4450	श्रेणी-6(1) नाला
				2094	0.2590		22	0.0120	
				1411	0.2510		34मि०	0.0410	
				9	0.2430		110मि०	0.0810	
				964	0.2130		151मि०	0.0810	
				2098	0.2020		192	0.0970	
				2018	0.1940		217	0.1770	
				180	0.1780		218/3	0.1820	
				238	0.1780		221/3	0.0490	
				36	0.1580		223/3	0.2180	
				886	0.1420		226मि०	0.0810	
				333	0.1380		241/3मि०	0.0240	
				1202	0.1210		244मि०	0.0360	
				2016मि०	0.1210		266	0.0120	
				2099	0.1170		301	0.0360	
				1413	0.0890		372मि०	0.1780	
				1930मि०	0.0890		373	0.0810	
				378	0.0850		379/55	0.0040	
				2006	0.0850		411/2	0.0450	
				2063मि०	0.0850		419/2	0.1210	
				2089मि०	0.0850		425	0.3840	
				2079	0.0730		438/6मि०	1.0760	
				2089/2134	0.0410		441	0.1500	
				2094मि०	0.0400		464	0.0890	
				2006/2121	0.0200		551मि०	0.0770	
				1126	0.0200				
				1208	0.0200				
				30	0.0160				
				580	0.0160				
				2075मि०	0.0040				
				योग.	9.2010		योग.	9.2300	

08 मई, 2025 ई0

सं0 571/12ए-एल0आर0ए0-50(2024-25)—जिलाधिकारी, झाँसी के पत्रांक संख्या-1060/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुनर्ग्रहण/2024-25 दिनांक 02 मई, 2025 में की गयी संस्तुति पर शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) खण्ड-(ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये तथा शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 के अधीन, मैं, बिमल कुमार दुबे, आई0ए0एस0, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी /प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	सिमरधा	740मि0	0.8250 में से 0.6640	श्रेणी-6-4 टोरिया	महिला कल्याण विभाग (मा0 मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास के निर्माण हेतु) (निःशुल्क)
योग.						0.6640		

09 मई, 2025 ई0

सं0 574/12ए-एल0आर0ए0-52(2024-25)—जिलाधिकारी, झाँसी के पत्रांक संख्या-1063/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुनर्ग्रहण/2024-25 दिनांक 05 मई, 2025 में की गयी संस्तुति पर शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) खण्ड-(ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये तथा शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 के अधीन, मैं, बिमल कुमार दुबे, आई0ए0एस0, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

अनुसूची

क्रम सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	डंगरवाहा	388	0.0890	श्रेणी-5(3)ड	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)
					474/2	0.1820	बंजर भूमि	
					990/2	0.0200		
					1015/2	0.0240		
					1142/5	0.2430		
					1171/1	0.1620		
					946मि०	0.0200		
					947मि०	0.4130		
					1181मि०	1.6760		
					1455/2	0.1780		
					323/3	0.0080		
					439/1	0.0400		
					1183/2	0.0200		
					1227/1	0.1500		
					1239/1	1.4770		
					योग.	4.7020		

28 मई, 2025 ई०

सं० 601/12ए-एल०आर०ए०-54(2024-25)-जिलाधिकारी, झाँसी के पत्रांक संख्या-1107/12ए-डी०एल०आर०सी०/ पुनर्गृहण/2024-25 दिनांक 22 मई, 2025 में की गयी संस्तुति पर शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) खण्ड-(ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये तथा शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 के अधीन, मैं, बिमल कुमार दुबे, आई०ए०एस०, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ-

अनुसूची

क्रम सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हेक्टेयर								
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	बरुआपुरा	189	0.8980	श्रेणी-6(4)	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)
					562मि०	2.9340	टोरिया	
					565	0.4330		
					721	4.6830		
					योग.	8.9480		

सं० 602/12ए-एल०आर०ए०-55(2024-25)—जिलाधिकारी, झाँसी के पत्रांक संख्या-1108/12ए-डी०एल०आर०सी०/ पुनर्ग्रहण/2024-25 दिनांक 22 मई, 2025 में की गयी संस्तुति पर शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) खण्ड-(ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये तथा शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 के अधीन, मैं, बिमल कुमार दुबे, आई०ए०एस०, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

अनुसूची

क्रम सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हेक्टेयर								
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	अम्बावाय	618	0.2530	श्रेणी-6(4)	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)
					644	0.5500	टोरिया	
					855	1.0180		
					868	3.5210		
					869	0.1380		
					1573	0.2350		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	अम्बावाय	1574ग	2.8300	श्रेणी-6(4)	बुन्देलखण्ड औद्योगिक
					1584	0.0320	टोरिया	विकास प्राधिकरण
					1967	3.1240		(बीडा) विकसित करने
					129	0.2060		हेतु (निःशुल्क)
					189ग	1.0710		
					2388ख	0.2950		
					2390ख	1.9990		
					योग .	15.2720		

27 जून, 2025 ई०

सं० 675/12ए-एल०आर०ए०-61(2024-25)–जिलाधिकारी, झाँसी के पत्रांक संख्या-1134/12ए-डी०एल०आर०सी०/ पुनर्ग्रहण/2024-25 दिनांक 02 जून, 2025 में की गयी संस्तुति पर शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) खण्ड-(ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये तथा शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 के अधीन, मैं, बिमल कुमार दुबे, आई०ए०एस०, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

पुनर्ग्रहण हेतु प्रस्ताव भूमि का विवरण

ग्राम सभा का नाम	गाटा संख्या	रकबा	श्रेणी	गाटा सं०	रकबा	पुनर्ग्रहण
1	2	3	4	5	6	7
		हेक्टेयर—			हेक्टेयर—	
डगरवाहा	1351	0.1980	श्रेणी 6-1 नाला	1351	0.1980	बुन्देलखण्ड
	1377/3	0.0650		1377/3	0.0650	औद्योगिक
	1388/1	0.2320		1388/1	0.2320	विकास
	1399/2	0.1050		1399/2	0.1050	प्राधिकरण (बीडा)
	1453/1	0.1250		1453/1	0.1250	हेतु निःशुल्क
	1528	0.1580		1528	0.1580	
	1670	0.2020		1670	0.2020	

1	2	3	4	5	6	7
		हेक्टेयर—			हेक्टेयर—	
डगरवाहा	1678	0.1010	श्रेणी 6-1 नाला	1678	0.1010	बुन्देलखण्ड
	13	0.2350		13	0.2350	औद्योगिक
	21	0.3000		21	0.3000	विकास
	103	0.0400		103	0.0400	प्राधिकरण (बीडा)
	113/2	0.2230		113/2	0.2230	हेतु निःशुल्क
	126	0.0160		126	0.0160	
	132	0.0690		132	0.0690	
	135/2	0.2230		135/2	0.2230	
	140	0.0650		140	0.0650	
	154	0.0320		154	0.0320	
	156	0.0320		156	0.0320	
	198	0.3480		198	0.3480	
	538	0.1580		538	0.1580	
	586	0.0400		586	0.0400	
	587	0.2290		587	0.2290	
	902/1	0.0160		902/1	0.0160	
	933	0.0160		933	0.0160	
	1497	0.2180		1497	0.2180	
	1688	0.0650		1688	0.0650	
	972	0.0610		972	0.0610	
	992/2	0.0200		992/2	0.0200	
	1040	0.0360		1040	0.0360	
	1123	0.0320		1123	0.0320	
	1159/2	0.2140		1159/2	0.2140	
	1161	0.1460		1161	0.1460	
	1170	0.8660		1170	0.8660	
	1226	0.3000		1226	0.3000	
	1236/3	1.2750		1236/3	1.2750	
	1276/2	0.0890		1276/2	0.0890	
	1344/2	0.0160		1344/2	0.0160	
	योग .	6.5570		योग .	6.5570	

भूमि प्रबन्धक समिति एवं उपजिलाधिकारी झाँसी के उपरोक्त प्रस्ताव के आधार पर पुनर्ग्रहित भूमि के उपरान्त लोक उपयोगिता हेतु भूमि आरक्षित किये जाने हेतु प्रस्ताव निम्नवत् है।

वर्तमान प्रस्थिति					प्रस्तावित प्रस्थिति				
ग्राम	गाटा	रकबा	श्रेणी	भूमि का प्रकार	ग्राम	गाटा	रकबा	श्रेणी	आरक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हेक्टेयर					हेक्टेयर				
सेकर	516घ	9.9550 में से 6.7550	श्रेणी 5(3)ड	बंजर	सेकर	516घ	9.9550 में से 6.7550	श्रेणी 5(3)ड	खलिहान हेतु आरक्षित

सं0 676/12ए-एल0आर0ए0-56(2024-25)—जिलाधिकारी, झाँसी के पत्रांक संख्या-1136/12ए-डी0एल0आर0सी0/ पुनर्ग्रहण/2024-25 दिनांक 02 जून, 2025 में की गयी संस्तुति पर शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) खण्ड-(ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये तथा शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 के अधीन, मैं, बिमल कुमार दुबे, आई0ए0एस0, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

पुनर्ग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण

ग्राम सभा का नाम	गाटा संख्या	रकबा	श्रेणी	गाटा सं0	रकबा	पुनर्ग्रहण
1	2	3	4	5	6	7
हेक्टेयर—			हेक्टेयर—			
अम्बावाय	2137	0.0160	श्रेणी 6(3)	2137	0.0160	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास
	2150	0.4150	कब्रिस्तान /मरघट	2150	0.4150	प्राधिकरण (बीडा) हेतु निःशुल्क
	2155	0.0280		2155	0.0280	
	2003क	0.4030		2003क	0.4030	
	1513ख	0.2410		1513ख	0.2410	
	2178	0.1300		2178	0.1300	
योग .		1.2330		योग .	1.2330	

भूमि प्रबन्धक समिति एवं उपजिलाधिकारी झाँसी के उपरोक्त प्रस्ताव के आधार पर पुनर्ग्रहित भूमि के उपरान्त लोक उपयोगिता हेतु भूमि आरक्षित किये जाने हेतु प्रस्ताव निम्नवत् है।

वर्तमान प्रस्थिति					प्रस्तावित प्रस्थिति				
ग्राम	गाटा	रकबा	श्रेणी	भूमि का प्रकार	ग्राम	गाटा	रकबा	श्रेणी	आरक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हेक्टेयर—					हेक्टेयर—				
गढ़मऊ	1251मि0	1.0470	श्रेणी	बंजर	गढ़मऊ	1251मि0	1.0470	श्रेणी	खलिहान हेतु
	618	0.2140	5-3 ड़			618	0.2140	5-3 ड़	आरक्षित
योग .		1.2610			योग .		1.2610		

01 जुलाई, 2025 ई0

सं0 681/12ए-एल0आर0ए0-59(2024-25)—जिलाधिकारी, झाँसी के पत्रांक संख्या-1139/12ए-डी0एल0आर0सी0/ पुनर्ग्रहण/2024-25 दिनांक 02 जून, 2025 में की गयी संस्तुति पर शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) खण्ड-(ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये तथा शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 के अधीन, मैं, बिमल कुमार दुबे, आई0ए0एस0, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

पुनर्ग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण

ग्राम सभा का नाम	गाटा संख्या	रकबा	श्रेणी	गाटा सं0	रकबा	पुनर्ग्रहण
1	2	3	4	5	6	7
हेक्टेयर—				हेक्टेयर—		
बाजना	98	0.470	श्रेणी 6(1) नाला	98	0.470	बुन्देलखण्ड
	226	3.217		226	3.217	औद्योगिक
	246	0.174		246	0.174	विकास
	272	0.198		272	0.198	प्राधिकरण झाँसी
	372	0.227		372	0.227	हेतु
	411	0.162		411	0.162	
	434	1.003		434	1.003	

1	2	3	4	5	6	7
		हेक्टेयर—			हेक्टेयर—	
बाजना	468	0.093	श्रेणी 6(1) नाला	468	0.093	बुन्देलखण्ड
	477	0.052		477	0.052	औद्योगिक
	479	0.085		479	0.085	विकास
	481	0.016		481	0.016	प्राधिकरण झाँसी
	488	0.158		488	0.158	हेतु
	511	0.105		511	0.105	
	522	0.154		522	0.154	
	578	0.579		578	0.579	
	609	0.121		609	0.121	
	612	0.053		612	0.053	
	617	0.243		617	0.243	
	673	0.150		673	0.150	
	707	0.028		707	0.028	
	712	0.065		712	0.065	
	740	0.700		740	0.700	
	933	0.206		933	0.206	
	984	3.707		984	3.707	
	1135	0.359		1135	0.359	
	1188	0.324		1188	0.324	
	1216	0.036		1216	0.036	
	1245	0.065		1245	0.065	
	1254	0.057		1254	0.057	
	1255	0.060		1255	0.060	
	1260	0.089		1260	0.089	
	1305	1.546		1305	1.546	
	1312	0.567		1312	0.567	
	672/1	0.425		672/1	0.425	
	योग .	15.674		योग .	15.674	

भूमि प्रबन्धक समिति बाजना के उपरोक्त प्रस्ताव के आधार पर पुनर्ग्रहित भूमि के उपरान्त लोक उपयोगिता हेतु भूमि निम्नवत् आरक्षित की जाती है।

वर्तमान प्रस्थिति					प्रस्तावित प्रस्थिति				
ग्राम	गाटा	रकबा	श्रेणी	भूमि का प्रकार	ग्राम	गाटा	रकबा	श्रेणी	आरक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		हेक्टेयर—					हेक्टेयर—		
सिमिरिया	78क	12.9740	श्रेणी	बंजर	सिमिरिया	78क	12.9740	श्रेणी	खलिहान
	233/1	1.5380	5(3)ड़			233/1	1.5380	5(3)ड़	हेतु
	537ड़	1.6620	बंजर			537ड़	1.6620	बंजर	आरक्षित
योग .		16.1740			योग .		16.1740		

सं0 682/12ए-एल0आर0ए0-65(2024-25)—जिलाधिकारी, झाँसी के पत्रांक संख्या-1181/12ए-डी0एल0आर0सी0/ पुनर्ग्रहण/2024-25 दिनांक 18 जून, 2025 में की गयी संस्तुति पर शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) खण्ड-(ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये तथा शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 के अधीन, मैं, बिमल कुमार दुबे, आई0ए0एस0, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

पुनर्ग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण

ग्राम सभा का नाम	गाटा संख्या	रकबा	श्रेणी	गाटा सं0	रकबा	पुनर्ग्रहण
1	2	3	4	5	6	7
		हेक्टेयर—			हेक्टेयर—	
पुनावली कलां	82	0.5550	श्रेणी 6(1) नाला	82	0.5550	बुन्देलखण्ड
	83	0.2020		83	0.2020	औद्योगिक
	97	0.0530		97	0.0530	विकास
	192	0.0610		192	0.0610	प्राधिकरण झाँसी
	261	0.2380		261	0.2380	हेतु निःशुल्क
	314	0.0730		314	0.0730	
	318/3050	0.0160		318/3050	0.0160	
	537	0.3840		537	0.3840	

1	2	3	4	5	6	7
		हेक्टेयर—			हेक्टेयर—	
पुनावली कलां	699	0.0650	श्रेणी 6(1) नाला	699	0.0650	बुन्देलखण्ड
	827	0.0970		827	0.0970	औद्योगिक
	1573	0.0240		1573	0.0240	विकास
	1787	0.3040		1787	0.3040	प्राधिकरण झाँसी
	1956	0.1130		1956	0.1130	हेतु निःशुल्क
	1957	0.1050		1957	0.1050	
	1978/3049	0.0970		1978/3049	0.0970	
	2065	0.2470		2065	0.2470	
	2122	0.2130		2122	0.2130	
	2545	0.1500		2545	0.1500	
	2566	0.8090		2566	0.8090	
	2616	0.2510		2616	0.2510	
	2799	0.2870		2799	0.2870	
	2822	0.0850		2822	0.0850	
	2914	0.6800		2914	0.6800	
	2963	0.1130		2963	0.1130	
	2965	0.1860		2965	0.1860	
	योग .	5.4080		योग .	5.4080	

भूमि प्रबन्धक समिति पुनावली कलां एवं उपजिलाधिकारी झाँसी, की संस्तुति आख्या दिनांक 06 जून, 2025 के क्रम में उपरोक्त प्रस्ताव के आधार पर पुनर्ग्रहित भूमि के उपरान्त लोक उपयोगिता हेतु भूमि आरक्षित किये जाने हेतु प्रस्ताव निम्नवत् है।

वर्तमान प्रस्थिति					प्रस्तावित प्रस्थिति				
ग्राम	गाटा	रकबा	श्रेणी	भूमि का प्रकार	ग्राम	गाटा	रकबा	श्रेणी	आरक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		हेक्टेयर					हेक्टेयर—		
बड़ौरा	835/1	6.9370 में से 5.4100	श्रेणी 5(3)ड़ बंजर	बंजर	बड़ौरा	835/1	6.9370 में से 5.4100	श्रेणी 5(3)ड़	खलिहान हेतु आरक्षित

सं0 683/12ए-एल0आर0ए0-63(2024-25)-जिलाधिकारी, झाँसी के पत्रांक-1182/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुनर्ग्रहण/2024-25 दिनांक 18 जून, 2025 में की गयी संस्तुति पर शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) खण्ड-(ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये तथा शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 के अधीन, मैं, बिमल कुमार दुबे, आई0ए0एस0, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

पुनर्ग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण

ग्राम सभा का नाम	गाटा संख्या	रकबा	श्रेणी	गाटा सं0	रकबा	पुनर्ग्रहण
1	2	3	4	5	6	7
		हेक्टेयर—			हेक्टेयर—	
राजापुर	2	0.0200	श्रेणी 6(1) नाला	2	0.0200	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झाँसी हेतु निःशुल्क
	12	0.0850		12	0.0850	
	17	0.0530		17	0.0530	
	35/1	0.2870		35/1	0.2870	
	51	0.4450		51	0.4450	
	74	0.0570		74	0.0570	
	84	0.5100		84	0.5100	
	88	0.1250		88	0.1250	
	155	0.4980		155	0.4980	
	350	0.0360		350	0.0360	
	375	0.5390		375	0.5390	
	389	0.1310		389	0.1310	
	399	0.0690		399	0.0690	
	553	0.3040		553	0.3040	
	625	0.2870		625	0.2870	
	855	0.1700		855	0.1700	
	1479	0.4700		1479	0.4700	
	1702	0.0360		1702	0.0360	
	305मि0	0.0240		305मि0	0.0240	
	योग .	4.1460		योग .	4.1460	

भूमि प्रबन्धक समिति राजापुर के उपरोक्त प्रस्ताव के आधार पर पुनर्ग्रहित भूमि के उपरान्त लोक उपयोगिता हेतु भूमि आरक्षित किये जाने हेतु प्रस्ताव निम्नवत् है।

वर्तमान प्रस्थिति					प्रस्तावित प्रस्थिति				
ग्राम	गाटा	रकबा	श्रेणी	भूमि का प्रकार	ग्राम	गाटा	रकबा	श्रेणी	आरक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		हेक्टेयर—					हेक्टेयर—		
पोहरा	345मि0	2.1370	श्रेणी	बंजर	पोहरा	345मि0	2.1370	श्रेणी	खलिहान
	67	0.1660	5(3)ड़			67	0.1660	5(3)ड़	हेतु
	263	0.0320	बंजर			263	0.0320	बंजर	आरक्षित
	238मि0	0.7650				238मि0	0.7650		
	274	0.3280				274	0.3280		
	368	0.7340				368	0.7340		
योग .		4.1620			योग .		4.1620		

सं0 684/12ए-एल0आर0ए0-64(2024-25)—जिलाधिकारी, झाँसी के पत्रांक-1180/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुनर्ग्रहण/2024-25 दिनांक 18 जून, 2025 में की गयी संस्तुति पर शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) खण्ड-(ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये तथा शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 के अधीन, मैं, बिमल कुमार दुबे, आई0ए0एस0, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

पुनर्ग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण

ग्राम सभा का नाम	गाटा संख्या	रकबा	श्रेणी	गाटा सं०	रकबा	पुनर्ग्रहण
1	2	3	4	5	6	7
		हेक्टेयर—			हेक्टेयर—	
खजराहा बुजुर्ग	7	0.1740	श्रेणी 6(1) रास्ता	7	0.1740	बुन्देलखण्ड
	9	0.1980		9	0.1980	औद्योगिक
	140	0.0650		140	0.0650	विकास
	142	0.2910		142	0.2910	प्राधिकरण झाँसी
	316	0.1460		316	0.1460	हेतु निःशुल्क
	364	0.2910		364	0.2910	

1	2	3	4	5	6	7
		हेक्टेयर—			हेक्टेयर—	
खजराहा बुजुर्ग	387	0.1130	श्रेणी 6(1) रास्ता	387	0.1130	बुन्देलखण्ड
	397	0.0690		397	0.0690	औद्योगिक
	525	0.0120		525	0.0120	विकास
	551	0.0970		551	0.0970	प्राधिकरण झाँसी
	568	0.4780		568	0.4780	हेतु निःशुल्क
	573	0.1380		573	0.1380	
	581	0.0890		581	0.0890	
	591	0.0730		591	0.0730	
	594	1.4490		594	1.4490	
	630	0.820		630	0.820	
	672	0.1420		672	0.1420	
	673	0.0160		673	0.0160	
	999	0.0200		999	0.0200	
	1014	0.1170		1014	0.1170	
	1124	0.3880		1124	0.3880	
	1233	0.2630		1233	0.2630	
	1400	0.6440		1400	0.6440	
	2205	0.2750		2205	0.2750	
	2257	0.1420		2257	0.1420	
	2258	0.1130		2258	0.1130	
	2274	0.0650		2274	0.0650	
	2275	0.7450		2275	0.7450	
	2339	0.8820		2339	0.8820	
	2368	0.3680		2368	0.3680	
	2420	0.7050		2420	0.7050	
	2441	0.3440		2441	0.3440	
	2544	0.0450		2544	0.0450	
	2570	0.1010		2570	0.1010	
	2575	0.3320		2575	0.3320	
	2576	0.0240		2576	0.0240	
	2581	0.9710		2581	0.9710	
	2582	0.0530		2582	0.0530	
	2586	0.0850		2586	0.0850	
	योग .	11.4050		योग .	11.4050	

भूमि प्रबन्धक समिति खजराहा बुजुर्ग एवं उपजिलाधिकारी झाँसी, की संस्तुति आख्या दिनांक 06 जून, 2025 के क्रम में उपरोक्त प्रस्ताव के आधार पर पुनर्ग्रहित भूमि के उपरान्त लोक उपयोगिता हेतु भूमि आरक्षित किये जाने हेतु प्रस्ताव निम्नवत् है।

वर्तमान प्रस्थिति					प्रस्तावित प्रस्थिति				
ग्राम	गाटा	रकबा	श्रेणी	भूमि का प्रकार	ग्राम	गाटा	रकबा	श्रेणी	आरक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		हेक्टेयर—					हेक्टेयर—		
तैंदोल	16	0.0280	श्रेणी	बंजर	तैंदोल	16	0.0280	श्रेणी	खलिहान
	19	0.1250	5(3)ड़			19	0.1250	5(3)ड़	हेतु
	51	0.2780	बंजर			51	0.2780	बंजर	आरक्षित
	263ख	0.0010				263ख	0.0010		
	283ख	0.0770				283ख	0.0770		
	311	0.5380				311	0.5380		
	333ग	0.0100				333ग	0.0100		
	354ग	0.0180				354ग	0.0180		
	479ड़	0.4790				479ड़	0.4790		
	481च	0.0750				481च	0.0750		
	570ख	0.2550				570ख	0.2550		
	594	0.2200				594	0.2200		
	609क	0.0160				609क	0.0160		
	613ख	0.0200				613ख	0.0200		
	618	0.500				618	0.0500		
	639ड़	0.1000				639ड़	0.1000		
	641	0.1220				641	0.1220		
	645	0.7400				645	0.7400		
	648	0.0800				648	0.0800		
	658क	0.0500				658क	0.0500		
	659ख	0.0870				659ख	0.0870		
	663	0.0610				663	0.0610		
	664घ	0.0240				664घ	0.0240		
	665ख	0.1340				665ख	0.1340		
	678	0.0450				678	0.0450		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		हेक्टेयर—					हेक्टेयर—		
तैंदोल	698	0.6400	श्रेणी	बंजर	तैंदोल	698	0.6400	श्रेणी	खलिहान
	762	0.0400	5(3)ड़			762	0.0400	5(3)ड़	हेतु
	787	0.0700	बंजर			787	0.0700	बंजर	आरक्षित
	810ग	0.2440				810ग	0.2440		
	836घ	0.1280				836घ	0.1280		
	839ख	0.0160				839ख	0.0160		
	840	0.1900				840	0.1900		
	841च	0.2020				841च	0.2020		
	872	0.0800				872	0.0800		
	882	0.1300				882	0.1300		
	883घ	0.0450				883घ	0.0450		
	890	0.0160				890	0.0160		
	904	0.3900				904	0.3900		
	1372	0.5500				1372	0.5500		
	909ख	1.9220				909ख	1.9220		
	918	0.0360				918	0.0360		
	933ख	0.0690				933ख	0.0690		
	954मि०	0.1090				954मि०	0.1090		
	974	0.0360				974	0.0360		
	979ख	0.1420				979ख	0.1420		
	980	0.3800				980	0.3800		
	982	0.0200				982	0.0200		
	984	0.1210				984	0.1210		
	988	0.1000				988	0.1000		
	990	0.1000				990	0.1000		
	993ग	.08830				993ग	.08830		
	994ख	0.0020				994ख	0.0020		
	995ख	0.3010				995ख	0.3010		
	996ख	0.0010				996ख	0.0010		
	947	0.0680				947	0.0680		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		हेक्टेयर—					हेक्टेयर—		
तैंदोल	1012क	0.2500	श्रेणी	बंजर	तैंदोल	1012क	0.2500	श्रेणी	खलिहान
	1035मि0	0.0260	5(3)ड़			1035मि0	0.0260	5(3)ड़	हेतु
	1041ड़	0.0300	बंजर			1041ड़	0.0300	बंजर	आरक्षित
	1042	0.0900				1042	0.0900		
	1108क	0.1280				1108क	0.1280		
	1119घ	0.0350				1119घ	0.0350		
	1599	0.1200				1599	0.1200		
	1123	0.0720				1123	0.0720		
	योग .	11.4150				योग .	11.4150		

31 जुलाई, 2025 ई0

सं0 739/12ए-एल0आर0ए0-73(2024-25)—जिलाधिकारी, झाँसी के पत्रांक संख्या-1265/12ए-डी0एल0आर0सी0/ पुनर्ग्रहण/2024-25 दिनांक 24 जुलाई, 2025 में की गयी संस्तुति पर शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) खण्ड-(ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये तथा शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 के अधीन, मैं, बिमल कुमार दुबे, आई0ए0एस0, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

पुनर्ग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण

ग्राम सभा का नाम	गाटा संख्या	रकबा	श्रेणी	गाटा सं0	रकबा	पुनर्ग्रहण
1	2	3	4	5	6	7
		हेक्टेयर—			हेक्टेयर—	
बैदोरा	1207	2.4890	श्रेणी 6-1 नाला	1207	2.4890	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास
	1	1.1410		1	1.1410	प्राधिकरण झाँसी हेतु निःशुल्क
	1200	1.1370		1200	1.1370	
	110	1.0760		110	1.0760	
	52/2102	0.8300		52/2102	0.8300	
	64	0.5340		64	0.5340	
	2034	0.5240		2034	0.5240	

1	2	3	4	5	6	7
		हेक्टेयर—			हेक्टेयर—	
बैदोरा	104	0.3930	श्रेणी 6-1 नाला	104	0.3930	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झाँसी हेतु निःशुल्क
	2080	0.2830		2080	0.2830	
	2094	0.2590		2094	0.2590	
	1411	0.2510		1411	0.2510	
	9	0.2430		9	0.2430	
	964	0.2130		964	0.2130	
	2098	0.2020		2098	0.2020	
	2018	0.1940		2018	0.1940	
	238	0.1780		238	0.1780	
	36	0.1580		36	0.1580	
	886	0.1420		886	0.1420	
	333	0.1380		333	0.1380	
	1202	0.1210		1202	0.1210	
	2016मि०	0.1210		2016मि०	0.1210	
	2099	0.1170		2099	0.1170	
	1413	0.0890		1413	0.0890	
	1930मि०	0.0890		1930मि०	0.0890	
	378	0.0850		378	0.0850	
	2006	0.0850		2006	0.0850	
	2063मि०	0.0850		2063मि०	0.0850	
	2079	0.0730		2079	0.0730	
	2089 / 2134	0.0410		2089 / 2134	0.0410	
	2094मि०	0.0400		2094मि०	0.0400	
	2006 / 2121	0.0200		2006 / 2121	0.0200	
	1126	0.0200		1126	0.0200	
	1208	0.0200		1208	0.0200	
	30	0.0160		30	0.0160	
	580	0.0160		580	0.0160	
	2075मि०	0.0040		2075मि०	0.0040	
	योग .	11.4270		योग .	11.4270	

भूमि प्रबन्धक समिति बैदोरा उप जिलाधिकारी झाँसी की संस्तुति आख्या 07 जुलाई, 2025 के क्रम में उपरोक्त प्रस्ताव के आधार पर पुर्नग्रहित भूमि के उपरान्त लोक उपयोगिता हेतु भूमि आरक्षित भूमि का विवरण निम्नवत् है।

वर्तमान प्रस्थिति					प्रस्तावित प्रस्थिति				
ग्राम	गाटा	रकबा	श्रेणी	भूमि का प्रकार	ग्राम	गाटा	रकबा	श्रेणी	आरक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		हेक्टेयर—					हेक्टेयर—		
चिपलौठा	19 / 3	1.9870	श्रेणी	बंजर	चिपलौठा	19 / 3	1.9870	श्रेणी	खलिहान
	22	0.0120	5(3)ड़			22	0.0120	5(3)ड़	हेतु
	34मि0	0.0410				34मि0	0.0410		आरक्षित
	45 / 4	0.0930				45 / 4	0.0930		
	47मि0	1.3880				47मि0	1.3880		
	105	0.2020				105	0.2020		
	110मि0	0.0810				110मि0	0.0810		
	151मि0	0.0810				151मि0	0.0810		
	192	0.0970				192	0.0970		
	201	0.5500				201	0.5500		
	217	0.1770				217	0.1770		
	218 / 3	0.1820				218 / 3	0.1820		
	221 / 3	0.0490				221 / 3	0.0490		
	223 / 3	0.2180				223 / 3	0.2180		
	226मि0	0.0810				226मि0	0.0810		
	241 / 3मि0	0.0240				241 / 3मि0	0.0240		
	244मि0	0.0360				244मि0	0.0360		
	245 / 1	0.6920				245 / 1	0.6920		
	266	0.0120				266	0.0120		
	301	0.0360				301	0.0360		
	317मि0	0.3550				317मि0	0.3550		
	197 / 5	0.2790				197 / 5	0.2790		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		हेक्टेयर—					हेक्टेयर—		
चिपलौठा	368/3	0.4450	श्रेणी	बंजर	चिपलौठा	368/3	0.4450	श्रेणी	खलिहान
	372मि०	0.1780	5(3)ड़			372मि०	0.1780	5(3)ड़	हेतु
	373	0.0810				373	0.0810		आरक्षित
	379/5	0.0040				379/5	0.0040		
	411/2	0.0450				411/2	0.0450		
	419/2मि०	0.1210				419/2मि०	0.1210		
	425	0.3840				425	0.3840		
	441	0.1500				441	0.1500		
	464	0.0890				464	0.0890		
	483/5मि०	0.2950				483/5मि०	0.2950		
	550	0.0160				550	0.0160		
	551मि०	0.0770				551मि०	0.0770		
	681/2	0.2100				681/2	0.2100		
	685	0.1460				685	0.1460		
	योग.	8.9140				योग.	8.9140		
कोलवां	369/628	0.1010	श्रेणी	बंजर	कोलवां	369/628	0.1010	श्रेणी	खलिहान
	56	0.1780	5(3)ड़			56	0.1780	5(3)ड़	हेतु
	134	0.1400				134	0.1400		आरक्षित
	611	0.0610				611	0.0610		
	57	0.1740				57	0.1740		
	28	0.1300				28	0.1300		
	68मि०	0.0890				68मि०	0.0890		
	93	0.1380				93	0.1380		
	98	0.1240				98	0.1240		
	151	0.2390				151	0.2390		
	48	0.2760				48	0.2760		
	104	0.0570				104	0.0570		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		हेक्टेयर—					हेक्टेयर—		
कोलवां	61	0.0850	श्रेणी	बंजर	कोलवां	61	0.0850	श्रेणी	खलिहान
	287	0.0080	5(3)ड़			287	0.0080	5(3)ड़	हेतु
	586	0.5500				586	0.5500		आरक्षित
	577	0.1370				577	0.1370		
	91	0.0450				91	0.0450		
	योग. .	<u>2.5320</u>				योग. .	<u>2.5320</u>		
	कुल योग.	<u>11.4460</u>				कुल योग.	<u>11.4460</u>		

बिमल कुमार दुबे,
आयुक्त,
झाँसी मण्डल, झाँसी।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 01 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 10, 1948 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम भूमि शर्मा पुत्री कुलदीप कुमार है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 1710 में उसका नाम पलक विश्वकर्मा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम भूमि शर्मा पुत्री कुलदीप कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

कुलदीप कुमार पुत्र अशोक कुमार,
सरैया पो० अमरईगांव रूदौली अयोध्या, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम खुशी यादव (Khushi Yadav) पुत्री विरेन्द्र यादव है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 2658 में मेरा नाम कनक यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम खुशी यादव पुत्री विरेन्द्र यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

खुशी यादव, पुत्री विरेन्द्र यादव,
बिन्दोलिया कोइलसवा बुजुर्ग कुशीनगर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आयुष जायसवाल (AYUSH JAISWAL) पुत्र श्री अनिल कुमार (ANIL KUMAR) है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 7348 7292 5649 में उसका नाम शाहिल जायसवाल (SHAHIL JAISWAL) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आयुष जायसवाल (AYUSH JAISWAL) पुत्र अनिल कुमार (ANIL KUMAR) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अनिल कुमार पुत्र झल्लू,
झग्गा धोबी की गली, वासलीगंज,
महुआरिया जनपद मिर्जापुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आस्तिक पांडेय पुत्र अमित पांडेय है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 8193 9895 0320 में उसका नाम आरव पाण्डेय अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आस्तिक पांडेय पुत्र अमित पांडेय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अमित पाण्डेय, पुत्र बिंद्रा पाण्डेय,
551घ/170क, नन्द नगर, आलमबाग लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हम प्रार्थी/सूचनादाता के पुत्री का सही नाम अविका केशरी (AVIKA KESHARI) है, जो कि उसके विद्यालय के

पंजिका में भी दर्ज है। त्रुटिवश हम प्रार्थी/सूचनादाता के पुत्री के आधार कार्ड सं0 5803 5062 2025 में उसका नाम अहाना केशरी अंकित हो गया है जो कि गलत है। हम प्रार्थी/सूचनादाता के पुत्री का सही नाम अविका केशरी (AVIKA KESHARI) पुत्री अभिषेक कुमार केशरी के नाम से भविष्य में जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अभिषेक कुमार केशरी पुत्र राम प्रसाद केशरी,
कोतवाली रोड, विन्ध्याचल, जिला मिर्जापुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम चित्ररेखा देवी (CHITRAREKHA DEVI) पत्नी हरिश्चन्द्र यादव (HARISHCANDRA YADAV) जो कि मेरे जलकर रसीद, पति के पेंशन अभिलेख, गृहकर, निर्वाचन कार्ड एवं उपजिलाधिकारी के जांच रिपोर्ट में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 xxxxx xxxxx 5758 में मेरा नाम चित्रलेखा यादव अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम चित्ररेखा देवी (CHITRAREKHA DEVI) पत्नी हरिश्चन्द्र यादव (HARISHCANDRA YADAV) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

चित्ररेखा देवी पत्नी हरिश्चन्द्र यादव,
265डी, कुम्हार गढ़वा तिलक नगर,
अल्लापुर, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आदेश सिंह राव (ADESH SINGH RAV) पुत्र अनमोल कुमार है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 xxxxx

xxxx 3565 में उसका नाम आदर्श सिंह राव (ADARSH SINGH RAV) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आदेश सिंह राव (ADESH SINGH RAV) पुत्र अनमोल कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अनमोल कुमार पुत्र स्व० रामराज,
करौंदी, पोस्ट, करौंदी तहसील सोरांव,
जिला प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सुभम कुमार श्रीवास्तव पुत्र गिरजा शंकर है जो कि शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० 4563 9389 9564 में मेरा नाम अमित श्रीवास्तव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सुभम कुमार श्रीवास्तव पुत्र गिरजा शंकर के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सुभम कुमार श्रीवास्तव,
ग्राम मेहदिया, पोस्ट पडरी मुस्तर्का पट्टी,
प्रतापगढ़, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अशोक कुमार शर्मा पुत्र मंहगू है जो मेरे राशन कार्ड, बैंक पासबुक, बिजली बिल एवं कुटुम्ब रजिस्टर तथा उपजिलाधिकारी जाँच आख्या में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० 4845 5921 9844 में मेरा नाम सुरेश शर्मा अंकित हो गया है जो कि गलत नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अशोक शर्मा पुत्र मंहगू के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अशोक शर्मा पुत्र मंहगू,
रमना जनपद वाराणसी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम मु० वसीम पुत्र मुन्नू (MD VASIM S/o MUNNU) है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० 7233 9748 8095 में मेरा नाम समसुद्दीन (SAMASUDDIN) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम मु० वसीम पुत्र मुन्नू (MD VASIM S/o MUNNU) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मु० वसीम पुत्र मुन्नू,
ग्राम रामीपुर, तियरा दाहरी, बदलापुर, जौनपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम इशानी केशरी पुत्री महेश कुमार है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं० xxxx xxxx 5039 में उसका नाम इशानी केशरवानी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम इशानी केशरी पुत्री महेश कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

महेश कुमार पुत्र श्री गोपाल दास,
126 गोपाल दास अंजनी कुमार मनीचर्य शॉप,
चीनी हवा इनारा के पास डांकीगज अघौली,
मिर्जापुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम दक्षित सिंह (DAKSHIT SINGH) पुत्र वेद प्रकाश सिंह (VED PRAKASH SINGH) है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख एवं आधार कार्ड सं0 XXXX XXXX 7252 में अंकित है। मेरे पुत्र का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण मैंने अपने ज्योतिषाचार्य के परामर्श के अनुसार अपने पुत्र का नाम दक्षित सिंह से बदल कर विवान सिंह रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को विवान सिंह (VIVAN SINGH) पुत्र वेद प्रकाश सिंह (VED PRAKASH SINGH) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

वेद प्रकाश सिंह पुत्र राम प्रताप सिंह,
गिरधर नगर कालोनी नवलपुर बसही,
शिवपुर वाराणसी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अलीशा बानो पुत्री मो0 नसीम है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख एवं जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 XXXX XXXX 3676 में उसका नाम रिया (RIYA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अलीशा बानो (ALEESHA BANO) पुत्री मो. नसीम (MHOD NASIM) के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मो0 नसीम पुत्र मोहम्मद हासिम
म0सं0 320 देदौर देदौर,
रायबरेली, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अंशिका साहनी पुत्री विनोद कुमार है जो कि उसके शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड

संख्या XXXX XXXX1945 में उसका नाम अंशु देवी अंकित हो गया है। जो कि गलत है भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अंशिका साहनी पुत्री विनोद कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

विनोद कुमार,
तिन्निहवा गैडास बुजुर्ग उमरौला,
बलरामपुर, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम सत्यम मिश्रा (SATYAM MISHRA) पुत्र गोविन्द कुमार मिश्रा है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 4711 9403 8953 में उसका नाम नमन कृष्ण अंकित हो गया है, जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम सत्यम मिश्रा (SATYAM MISHRA) पुत्र गोविन्द मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकता स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

गोविन्द कुमार मिश्रा पुत्र राम मनोहर मिश्रा,
एस0 10/2 सी0एच0 राम सिंह का हाता,
हुकुलगंज, वाराणसी कैट, वाराणसी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम प्रियांशु मिश्रा (Priyanshu Mishra) पुत्र कृष्ण मोहन मिश्रा है जो की शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कर्ड संख्या 3311 7874 4516 में आयुष मिश्रा अंकित हो गया है। जो कि गलत है भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम प्रियांशु मिश्रा (Priyanshu Mishra) पुत्र कृष्ण मोहन मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है। कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कृष्ण मोहन मिश्र पुत्र सूर्यमणि मिश्र,
बरडीहा पोस्ट बरडीहा जिला मीरजापुर।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम छट्टू शर्मा (CHHATTU SHARMA) पुत्र महंगू शर्मा है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों आधार कार्ड (5095 9168 4867) एवं पैन कार्ड (FASPS7649J) में अंकित है। स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण मैंने अपने ज्योतिषाचार्य के परामर्श अनुसार अपना नाम छट्टू शर्मा के स्थान पर अभिषेक शर्मा रख लिया है। भविष्य में मुझे अभिषेक शर्मा (ABHISHEK SHARMA) पुत्र महंगू शर्मा (MAHANGU SHARMA) के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

छट्टू शर्मा पुत्र महंगू शर्मा
39, मुंडेरा, पोस्ट-मुंडेरा
बलिया उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम पवन कुमार पुत्र मुकेश चन्द्र मौर्य है, जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों, आधार कार्ड 9931 4842 3271, पैन कार्ड (BDMPK6600A) में अंकित है। स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण मैं अपने ज्योतिषाचार्य के परामर्श अनुसार अपना नाम पवन कुमार के स्थान पर पवन कुमार मौर्य (Pawan Kumar Maurya) रख लिया है। भविष्य में मुझे पवन कुमार मौर्य (Pawan Kumar Maurya) पुत्र मुकेश चंद्र मौर्य के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध विधिक औपचारिकताएं मेरे स्वयं द्वारा पूर्ण की गयी है।

पवन कुमार पुत्र मुकेश चन्द्र मौर्य,
बाबा का पुरवा, कशेरुवा, फतेपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम श्यामजी सैनी (SHYAM JEE SAINI) पुत्र जगदीश प्रसाद सैनी (JAGDEESH PARSHAD SAINI) है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०— 6402 4076 6373 में मेरा नाम मोनू (MONU) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम श्यामजी सैनी (SHYAM JEE SAINI) पुत्र जगदीश प्रसाद सैनी (JAGDEESH PARSHAD SAINI) के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में विधिक औपचारिकताओं में स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

श्यामजी सैनी पुत्र श्री जगदीश प्रसाद सैनी,
मौहल्ला बजरिया, शेखाना,
शहर व तहसील व जिला कन्नौज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अदिति तिवारी पुत्री दीपक कुमार है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं० 6462 2587 5838 में उसका नाम शिवांगी अंकित हो गया है जोकि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अदिति तिवारी पुत्री दीपक कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

दीपक कुमार

एच 170के, सुखऊपुरवा. नई बस्ती ख्योरा,
कटरी ज्योरा, नवाबगंज, कानपुर नगर, कानपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम परिधि तिवारी पुत्री दीपक कुमार है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं० 6426 2880 1398 में उसका नाम जान्हवी तिवारी अंकित हो गया है जोकि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम परिधि तिवारी पुत्री दीपक कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

दीपक कुमार

एच-170के, सुखरूपपुरवा. नई बस्ती ख्योरा,
कटरी ज्योरा, नवाबगंज कानपुर नगर, (उ०प्र०)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम युवराज सोनकर (YUVAJ SONKAR) पुत्र निर्मल सोनकर (NIRMAL SONKAR) है जो उसके शैक्षिक अभिलेख एवं जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 5668 में उसका नाम युराज सोनकर (YURAJ SONKAR) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम युवराज सोनकर (YUVAJ SONKAR) पुत्र निर्मल सोनकर (NIRMAL SONKAR) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

निर्मल सोनकर पुत्र राम दीन सोनकर
117 डी/371 फुलवरिया रोड दारागंज
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अनाया सिंह ठाकुर (ANAYA

SINGH THAKUR) पुत्री अमित कुमार सिंह (AMIT KUMAR SINGH) है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 1975 में उसका नाम अनन्या सिंह ठाकुर (ANANYA SINGH THAKUR) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अनाया सिंह ठाकुर (ANAYA SINGH THAKUR) पुत्री अमित कुमार सिंह (AMIT KUMAR SINGH) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

अमित कुमार सिंह, पुत्र सत्य नारायण सिंह,
चंदहा, चंदा बनेपुर, जनपद गोंडा, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम आदित्य राजपूत (ADITYA RAJPUT) पुत्र संजीव कुमार (SANJEEV KUMAR) है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 8201 में मेरा नाम कुनाल अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम आदित्य राजपूत (ADITYA RAJPUT) पुत्र संजीव कुमार (SANJEEV KUMAR) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

आदित्य राजपूत पुत्र संजीव कुमार,
पोस्ट इकदिल, काकरपुर सराय इकदिल,
इटावा, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम कृष्णा पाण्डेय (Krishna Pandey) पुत्र विनोद कुमार पाण्डेय है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में

अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0xxxx
xxxx 0539 में उसका नाम देवांग पाण्डेय अंकित हो
गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके
सही नाम कृष्णा पाण्डेय पुत्र विनोद कुमार पाण्डेय के नाम
से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त
के सम्बन्ध में विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की
गयी है।

विनोद कुमार पाण्डेय पुत्र राम मूर्ति पाण्डेय,
मदनपुर पनियार लम्भुआ सुल्तानपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी
पुत्री का सही नाम श्रीयांशी नागवंशी (Shriyanshi
Nagvanshi) पुत्री मुकेश कुमार है, जो उसके शैक्षिक
अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड
सं0 xxxx xxxx 0257 में उसका नाम माहिरा नागवंशी
अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री
को उसके सही नाम श्रीयांशी नागवंशी (Shriyanshi
Nagvanshi) पुत्री मुकेश कुमार के नाम से जाना व
पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त
के सम्बन्ध में विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की
गयी है।

मुकेश कुमार पुत्र राम लाल,
शाह उर्फ पीपलगांव, पीपलगाँव,
प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा
सही नाम कु0 स्मिता त्रिपाठी (Km. Smita Tripathi) पुत्री
विजय कुमार त्रिपाठी (Vijay Kumar Tripathi) है। जो
कि मेरे शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे
आधार कार्ड सं0 7304 9553 5845 में मेरा नाम स्मिता
शुक्ला (Smita Shukla) अंकित हो गया है, जो कि गलत
है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम स्मिता त्रिपाठी पुत्री
विजय कुमार त्रिपाठी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त
के सम्बन्ध में विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की
गयी है।

कु0 स्मिता त्रिपाठी पुत्री विजय कुमार त्रिपाठी,
ग्राम अठैसा पो0 झींगुर तह0 कुण्डा,
जनपद प्रतापगढ़, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा
सही नाम रोहित सरोज (Rohit Saroj) पुत्र भैयालाल
सरोज है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है।
त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 2751 8488 8631 में मेरा
नाम संता देवी (Santa Devi) अंकित हो गया है जो कि
गलत नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम रोहित सरोज
(Rohit Saroj) पुत्र भैयालाल सरोज के नाम से जाना व
पहचाना जाए।

एतदद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि
उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं
मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

रोहित सरोज
पुत्र भैयालाल सरोज,
मईडीह, जगरनाथपुर, मडियाहू जौनपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी
पुत्री का सही नाम दिव्यांशी मिश्रा (DIVYANSHI
MISHRA) पुत्री मृत्युंजय कुमार मिश्रा है जो कि उसके
जन्म प्रमाण पत्र व शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है त्रुटिवश
मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या 7116 3459 6673 में
उसका नाम दिव्यांशु (DIVYANSHU) अंकित हो गया है
जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही
नाम दिव्यांशी मिश्रा (DIVYANSHI MISHRA) पुत्री
मृत्युंजय कुमार मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

मृत्युंजय कुमार मिश्रा पुत्र बच्चन मिश्रा,
हाउस नं 75 मानिकपुर 2 मानिकपुर,
बलिया उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम ईवा गुप्ता (EVA GUPTA) पुत्री राजेश कुमार गुप्ता है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र एवं शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 3922 6970 2249 में उसका नाम लाडो (LADO) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम ईवा गुप्ता (EVA GUPTA) पुत्री राजेश कुमार गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राजेश कुमार गुप्ता पुत्र हरिप्रसाद,
124/के, विशालपुरी, कॉलोनी, महुअरिया,
जिला— मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश।

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स VERTICAL CONSTRUCTIONS, 102/60 UFG, 2 CITY PLAZA, SHIVA JI MARG, LUCKNOW 22601 से पंजीकृत है। यह कि 3 साझेदार श्री मनीष गोयल श्री नवनीत तिवारी एवं श्री रवि कान्त द्विवेदी साझेदार थे। दिनांक 01 जुलाई, 2026 को एक नयी साझेदारी बनी जिसमें श्री नवनीत तिवारी अपनी सहमति से फर्म की साझेदारी से निकल गये हैं तथा इसी तिथि को श्री सुमित गोयल साझेदार के रूप में शामिल हो गये हैं। वर्तमान में 3 साझेदार क्रमशः श्री मनीष गोयल श्री रवि कान्त द्विवेदी एवं श्री सुमित गोयल साझेदार हैं।

मनीष गोयल,
साझेदार
मेसर्स VERTICAL CONSTRUCTIONS.

सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स SATYAM HOTELS, 18 GODAVARI ENCLAVE KESHAV NAGAR NEAR PANI TANKI, FAIZULLAGANJ, NIRALA NAGAR LUCKNOW. 226020 से पंजीकृत है। यह कि 2 साझेदार श्री सुधीर कुमार सिंह एवं श्रीमती अर्चना सिंह साझेदार थे। दिनांक 03 जुलाई, 2026 को एक नयी साझेदारी बनी जिसमें श्रीमती अर्चना सिंह अपनी सहमति से फर्म की साझेदारी से निकल गयी है तथा इसी तिथि को श्री रोहित श्रीवास्तव साझेदार के रूप में शामिल हो गये हैं। वर्तमान में 2 साझेदार क्रमशः श्री सुधीर कुमार सिंह एवं श्री रोहित श्रीवास्तव साझेदार हैं।

सुधीर कुमार सिंह,
साझेदारी
मेसर्स SATYAM HOTELS.

सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स SRI SHYAM ENTERPRISES, REUSA BISWAN SITAPUR से पंजीकृत है। यह कि 2 साझेदार श्री कपिल कुमार, एवं श्री साहब लाल साझेदार थे। दिनांक 18 फरवरी, 2026 को एक नयी साझेदारी बनी जिसमें श्री साहब लाल अपनी सहमति से फर्म की साझेदारी से निकल गये हैं तथा इसी तिथि को श्री अरिहंत जैन, वैशाली जैन एवं श्री कन्हैया लाल साझेदार के रूप में शामिल हो गये हैं। वर्तमान में 04 साझेदार क्रमशः श्री कपिल कुमार, श्री अरिहंत जैन, वैशाली जैन एवं श्री कन्हैया लाल साझेदार हैं।

कपिल कुमार,
साझेदार
मेसर्स SRI SHYAM ENTERPRISES.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स द्विवेदी इण्टर प्राइजेज सी-4/32, सराय गोवर्धन, चेतगंज, वाराणसी, उ०प्र० नामक फर्म की पार्टनरशीप डीड दिनांक

01 अप्रैल, 2004 की बनायी गयी है। जिसका पंजीकरण पार्टनरशीप एक्ट 1932 के अन्तर्गत पंजीकरण संख्या—V11023 दिनांक 13 अप्रैल, 2004 को कराया गया है। फर्म में श्री अजय कुमार द्विवेदी व विकास कुमार सिंह पार्टनर थे। दिनांक 01 अप्रैल, 2013 को विकास कुमार सिंह फर्म से अलग हो गये, इसके बाद दिनांक 27 मार्च, 2025 को विकास कुमार सिंह की मृत्यु हो गयी। दिनांक 01 अप्रैल, 2013 को अंकुर द्विवेदी पार्टनर के रूप में सम्मिलित किये गये। वर्तमान में अजय कुमार द्विवेदी और अंकुर द्विवेदी फर्म में साझीदार हैं।

अजय कुमार द्विवेदी,
मेसर्स द्विवेदी इण्टर प्राइजेज, सी-4/32,
सराय गोवर्धन, चेतगंज, वाराणसी, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम हरिओम (Hariom) पुत्र श्री जसवन्त है जो कि मेरे शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-7781 5055 9386 में मेरे नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग में गलती से हरिओम (Haroim) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम हरिओम (Hariom) पुत्र श्री जसवन्त के नाम से जाना व पहचाना जाय।

हरिओम पुत्र श्री जसवन्त
ग्राम मुबारकपुर, पोस्ट आई.आई.एम.,
तहसील, बख्शी का तालाब,
जिला लखनऊ, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अनन्त वर्मा (ANANT VERMA) पुत्र विनोद वर्मा (VINOD VERMA) है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख और जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 7973 में उसका नाम अदीप वर्मा अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अनन्त वर्मा (ANANT VERMA) पुत्र विनोद वर्मा (VINOD VERMA) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

विनोद वर्मा पुत्र राम आसरे,
रानी का कुआं, बेला भेला मौहम्मदपुर,
कुचारिया रायबरेली।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम आशुतोश तिवारी पुत्र दयाशंकर तिवारी है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 8097 9690 1649 में उसका नाम हर्षित अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आशुतोश तिवारी पुत्र दयाशंकर तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं द्वारा पूरी की गयी हैं।

ऊषा देवी पत्नी दयाशंकर तिवारी,
ग्राम लोनियापुर पोस्ट शाहगढ़,
तहसील गौरीगंज, जनपद अमेठी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम सुप्रिया तिवारी (SUPRIYA TIWARI) पुत्री अरविन्द कुमार तिवारी है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं० 9441 7510 2831 में उसका नाम श्रेया तिवारी (SHREYA TIWARI) हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम सुप्रिया तिवारी (SUPRIYA TIWARI) पुत्री अरविन्द कुमार तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

अरविन्द कुमार तिवारी
भिदूरा अंजना, थाना पूरा कलंदर,
तहसील सदर, जिला अयोध्या।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अदिती सिंह Aditi Singh पुत्री बृजेश कुमार सिंह Brijesh Kumar Singh है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 4731 0795 1367 में उसका नाम मिठी सिंह अंकित हो गया है जो गलत नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम Aditi Singh पुत्री Brijesh Kumar Singh के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सम्बन्ध में समस्त विधिक और औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण किया गयी।

बृजेश कुमार सिंह पुत्र देवेन्द्र प्रताप सिंह,
रेलवे क्रासिंग जोगिया बाबा मोहाल,
वार्ड नं0 04 रावर्ट्सगंज, सोनभद्र उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम प्रिया भारती (PRIYA BHARTI) पुत्री उमेश राम (UMESH RAM) है। जो उसके जन्म प्रमाण पत्र और शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 9949 में उसका नाम रुबी भारती अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम प्रिया भारती (PRIYA BHARTI) पुत्री उमेश राम (UMESH RAM) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अनीता देवी पत्नी उमेश राम,
भरथरा कलां वाराणसी, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम नितिन (Nitini) पुत्र राम मिलन है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड

संख्या XXXX XXXX 0003 में मेरा नाम प्रिन्स अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम नितिन पुत्र राम मिलन के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

नितिन पुत्र राम मिलन
ग्राम तरौजा, पोस्ट कुम्भी तहसील महाराजगंज,
जिला रायबरेली उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम स्वास्तिक पाण्डेय पुत्र रविन्द्र कुमार है जो उसके शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 9969 4653 7791 में उसका नाम रुद्रान्श पाण्डेय अंकित हो गया है, जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम स्वास्तिक पाण्डेय पुत्र रविन्द्र कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

रविन्द्र कुमार पुत्र गुलाब चन्द्र,
मकान सं0-35 गांव रसूलपुर, सिहाडीह,
कटहरा प्रयागराज।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम सिद्धि बरनवाल है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या 8049 5591 5069 में उसका नाम झिलमिल बरनवाल अंकित हो गया है, जो गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम सिद्धि बरनवाल पुत्री कौशल बरनवाल के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

कौशल कुमार बरनवाल,
पुत्र रमेश चन्द बरनवाल,
7, राजीव नगर, सैदपुर गाजीपुर, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम काव्या पाण्डेय पुत्री सुभाष पाण्डेय है, जो उनके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड सं0 2357 1682 4842 में उसका नाम वसु पाण्डेय अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम काव्या पाण्डेय पुत्री सुभाष पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सुभाष पाण्डेय पुत्र लल्लन प्रसाद पाण्डेय,
नि0- बड़ा चाका, चाका नैनी,
पोस्ट-नैनी व तहसील-करछना,
जनपद-प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अशिभ्य यादव (Ashibhya Yadav) पुत्र रानू यादव है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 xxxx xxxx 8235 में उसका नाम अंश यादव अंकित हो गया है

जो कि गलत है, भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अशिभ्य यादव पुत्र रानू यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सीमा यादव पत्नी रानू यादव,
नि0- मसीरपुर खनियरा आजमगढ़, उ0 प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मै0 एप्पल एस्टेट, मं0 नं0 143बी, भरतपुरिया पेच, नीयर सरस्वती शिशु मन्दिर, कोसीकलॉ मथुरा 281403 का पत्रावली संख्या- MAT-0025306 पर पंजीकृत है। फर्म में दिनांक 07 अक्टूबर, 2024 से श्री नीरज अग्रवाल, श्री नीरज गोयल, श्री इरज जैन, श्री राहुल जैन, श्री हर्ष जैन, श्री अंकित गर्ग, श्री अनुप कुमार गर्ग तथा श्री कृष्ण चित्रकार पार्टनर थे। संशोधित डीड के अनुसार दिनांक 12 जून, 2026 से फर्म के प्रथम साझेदार श्री नीरज गोयल पुत्र श्री त्रिलोक चन्द गोयल निवासी 154 मनीराम वास कोसीकलॉ, मथुरा फर्म की साझेदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं। वर्तमान में श्री नीरज गोयल, श्री इरज जैन, श्री राहुल जैन, श्री हर्ष जैन, श्री अंकित गर्ग, श्री अनूप कुमार गर्ग तथा श्री कृष्ण चित्रकार 07 ही हिस्सेदार रहेंगे।

नीरज गोयल,
साझेदार,

मै0 एप्पल एस्टेट, मं0 नं0 143बी,
भरतपुरिया पेच, नीयर सरस्वती शिशु मन्दिर,
कोसीकलॉ मथुरा, पिन-281403